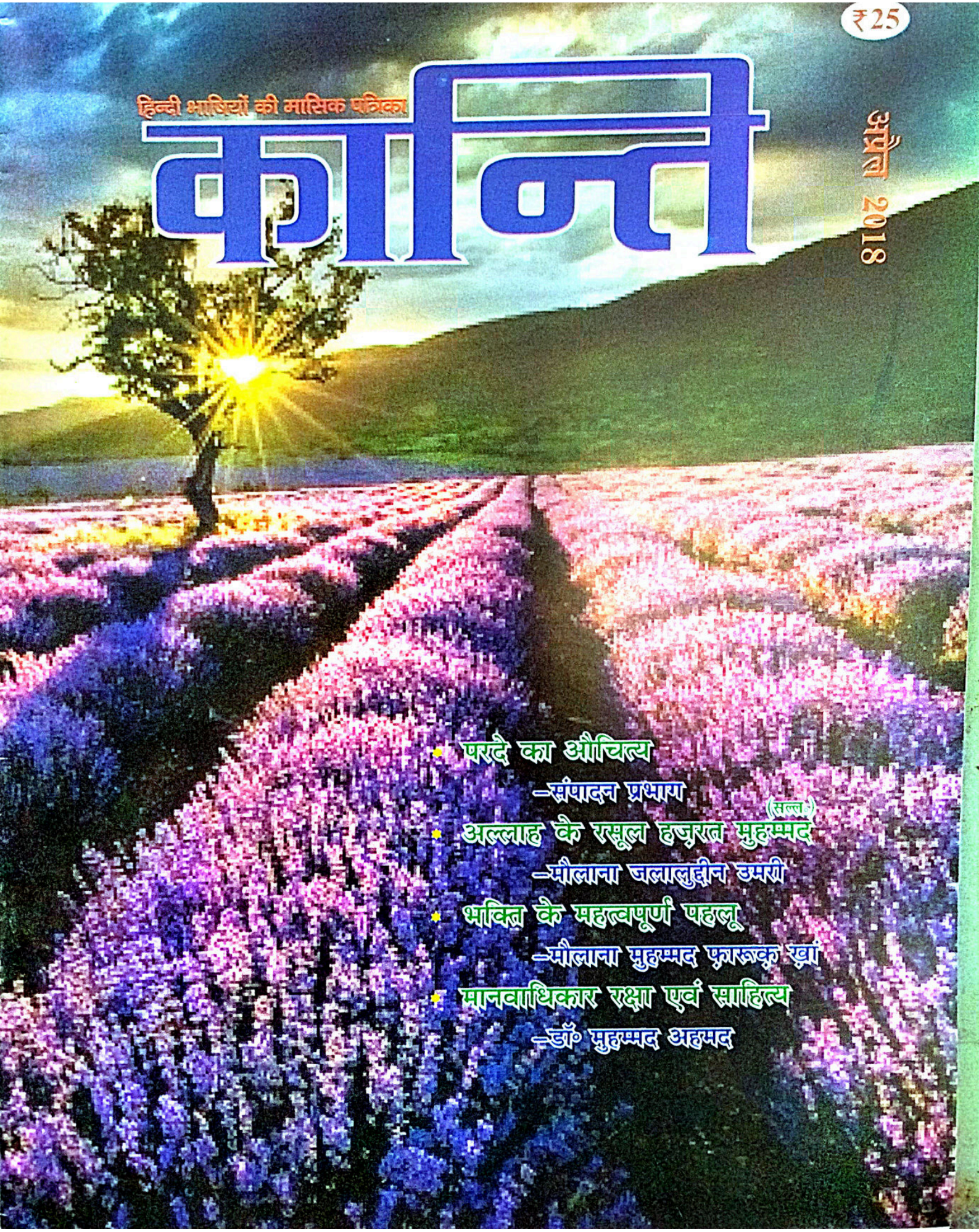
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
शान्ति
अप्रैल 2018
• परदे का औचित्य
–संपादन प्रभाग
• अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)
–मौलाना जलालुद्दीन उमरी
• भक्ति के महत्वपूर्ण पहलू
–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां
• मानवाधिकार रक्षा एवं साहित्य
–डॉ० मुहम्मद अहमद

SHALIMAR
RESTAURANT



Special Items

CHICKEN
- Murg Mumtaz
- Chicken Malaysia
- Jalwa Kabab
- Tiranga Kabab
- Seekh Kabab
- Multani Kaban

SEA FOOD
- Fish Tandoori
- King Prawns Tandoori
- Fish Angara

VEG
- Paneer Tikka



CHICKENS KABABS
- Chicken Tandoori
- Chicken Liver Takka
- Chicken Tikka
- Murg Kohinoor
- Reshmi Kabab
- Sholay Kabab
- Pahadi Kabab
- Khazana Kabab
- Chaurangi Kabab
- Sonali Kabab

Exclusively at : Shalimar Corner, Bhendi Bazar,Mumbai-400003
E-mail : info@shalimargroup.com, www.shalimargroup.com
Tel. : 23456630/34, Fax : 23456629

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 27 अंक 10 अप्रैल 2018

"तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है ?
–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

संयम की आवश्यकता

गुजरात के समाजसेवी मोती भाई
गांधी जी के अनन्य मित्र थे ।
गांधी जी ने उनका नाम रख दिया, 'सच्चे मोती'
एक दिन मोती भाई अमीन
बाहर गांव से अपने आफ़िस बड़ौदा आए ।
मुनीम नाज़ुक लाल चौकसी से बोले
मैं तीसरे दर्जे का टिकट लेकर यात्रा कर रहा था,
बीच यात्रा में एक मित्र ने प्लेटफार्म पर मुझे देख लिया,
और अपने पास बुला लिया ।
मित्र सेकेंड क्लास का यात्री था ।
उसके बुलाने पर मैं उसके पास चला गया
ज़रूरी बातें करनी थीं ।
बातें लंबी हो गयीं
मैं सेकेंड क्लास ही में बैठा रह गया ।
अब तुम से यह कहना है,
तीसरे और दूसरे दर्जे के टिकट का फ़र्क़ निकालकर जो
रक़म निकले मनी आर्डर द्वारा
हेड ऑफ़िस रेलवे मैनेजर के पास भेज दो,
एक पत्र भी लिखो, जिसमें सच-सच पूरी घटना अंकित हो,
यह काम अभी हो जाना चाहिए ।
जब तक मुझे रसीद नहीं मिलेगी,
तसल्ली नहीं होगी ।
लेकिन श्रीमान ! मुनीम जी बोले,
'आप इतना परेशान क्यों हैं ?
एक छोटी-सी बात को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं,
ऐसी घटनाएं तो रोज़ घटित होती हैं,
कोई पूछने वाला भी नहीं ।
और आपका मामला तो एक ऐसा मामला है,
जिसे किसी ने देखा भी नहीं,
किसी को भनक भी नहीं लगी ।'
अरे मुनीम जी ! तुम ऐसी बात करते हो ? मोती भाई बोले,
कोई देखे, न देखे, ईश्वर तो देख रहा था ।
याद रखो, जो ईश्वर से डरता है,
संयम भी उसी के पास होता है,
जबकि देश को, समाज को आज
इसी की ज़्यादा ज़रूरत है ।

● डॉ० कौसर यज़दानी नदवी



कहां क्या है ?

संयम की आवश्यकता	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
कुरआन ज्योति		5
खान-पान के आचार (हदीस मंजरी)		6
इस्लाम-सत्य धर्म की जीवन संहिता (संपादकीय)		7
समारोहों का भगवाकरण (आपके पत्र)		9
बेदख़ल (लघुकथा)	–अशफ़ाक़ क़ादिरी	11
भक्ति : कुछ महत्वपूर्ण पहलू (आस्था)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	13
ग़ज़ल	–नासिर अली 'नदीम'	14
एकेश्वरवाद का मानव जीवन पर प्रभाव	–डॉ॰ सैयद शाहिद अली	15
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के रसूल होने के प्रमाण (जीवन आदर्श)	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	19
हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल लुबाबतुल कुबरा रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशिमी	23
परदे का औचित्य (विशेष आयोजन)	–संपादन प्रभाग	26
नियति (कविता)	–देवेन्द्र कुमार मिश्रा	28
स्त्री और पुरुष में समानता	–बुशरा सादिक़ा	29
कैसे पूरे होंगे बजट के बड़े वादे ? (सामयिकी)	–भारत डोगरा	33
मुसीबत के वक़्त पहचान (कहानी)	–स्मिता भूषण	37
मानवाधिकार संरक्षा में साहित्य की भूमिका	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	43
यरुशलम : अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों के संदर्भ में (देश-विदेश)	–डॉ॰ रमेश कुमार वांकवाणी	47
ग़ज़ल	–अनुपिन्द्र सिंह 'अनूप'	48
[illegible]		49

क़ुरआन ज्योति

(59) ऐ नबी ! इनसे कहो, ''तुम लोगों ने कभी यह भी सोचा है कि जो रोज़ी ।[60]

–क़ुरआन, 10 : 59

60. हिन्दी-उर्दू भाषा में रिज़्क़ केवल 'खाने-पीने की चीज़ों' ही के लिए बोला जाता है । इसी कारण लोग समझते हैं कि यहां पकड़ केवल उस विधान की कि गयी है जो दस्तरख़्वान (वह कपड़ा जिस पर खाना खाते हैं) की छोटी-सी दुनिया में धार्मिक संस्कारों या रस्म व रिवाज के आधार पर लोगों ने बना डाला है । इस भ्रम में अज्ञानी और सामान्य लोग ही नहीं, विद्वान तक हैं, हालांकि अरबी भाषा में 'रिज़्क़' (रोज़ी) केवल भोजन और खाने-पीने ही की चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि दान-प्रदान और भाग्य के अर्थ में सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है । अल्लाह ने जो कुछ भी दुनिया में इन्सान को दिया है, वह सब उसका 'रिज़्क़' (रोज़ी) है, यहां तक कि औलाद भी रिज़्क़ है । अस्माउर्रिजाल (रिवायत करने वालों से संबंधित ज्ञान) की किताबों में अधिकतर रिवायत करने वालों के नाम 'रिज़्क़' और 'रुज़ैक़' और 'रिज़्कुल्लाह' मिलते हैं, जिसका अर्थ लगभग वही है जो हिन्दी-उर्दू में 'अल्लाह' दिये का अर्थ है । मशहूर दुआ है–अल्लाहुम-म-अरिनल हक़-क़-हक़्क़ंव-वरज़ुक़-ना इत्तिबा-अहू' अर्थात हम पर सत्य खोल और हमें उसके पालन का सौभाग्य प्रदान कर । मुहावरे में बोला जाता है 'रुज़ि-क़ इल्मन' (अमुक व्यक्ति को ज्ञान दिया गया है)।

हदीस में है कि अल्लाह हर गर्भवती के पेट में एक फ़रिश्ता भेजता है और वह पैदा होने वाले का 'रिज़्क़' और उसकी उम्र की मुद्दत और उसका काम लिख देता है । स्पष्ट है कि यहां रिज़्क़ से तात्पर्य केवल वह भोजन ही नहीं है जो उस बच्चे को आगे मिलने वाला है, बल्कि वह सब कुछ है जो उसे दुनिया में दिया जाएगा । स्वयं क़ुरआन में है 'व मिम्मा-र-ज़क़-नाहुम युनफ़िक़ून' जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं । अतः रोज़ी को सिर्फ़ दस्तरख़्वान की सीमाओं तक सीमित समझना और यह विचार रखना कि अल्लाह को सिर्फ़ उन पाबन्दियों और आज़ादियों पर आपत्ति है जो खाने-पीने की चीज़ों के मामले में लोगों ने अपने आप अपना ली हैं, भारी ग़लती है और यह कोई साधारण ग़लती नहीं है । इसकी वजह से अल्लाह के दीन की एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक शिक्षा लोगों की निगाहों से ओझल हो गयी है । यह उसी ग़लती का तो नतीजा है कि खाने-पीने की चीज़ों में हलाल व हराम और जाइज़ व नाजाइज़ का मामला तो एक दीनी मामला समझा जाता है लेकिन सभ्यता के फैले हुए मामलों में अगर यह नियम तय कर लिया जाए कि इन्सान स्वयं अपने लिए सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार रखता है और इसी आधार पर अल्लाह और उसकी किताब से उदासीन होकर विधान बनाया जाने लगे, तो सामान्य लोग तो बड़ी बात, दीनी आलिमों, शरीअत के आधार पर फ़तवा देने वालों, क़ुरआन के टीकाकारों और हदीस के विशेषज्ञों तक को यह एहसास नहीं होता कि यह चीज़ भी दीन से उसी तरह टकराती है जिस तरह खाने-पीने की चीज़ों में अल्लाह की शरीअत से आज़ाद होकर जाइज़ व नाजाइज़ की सीमाएं अपने आप निश्चित कर लेना ।

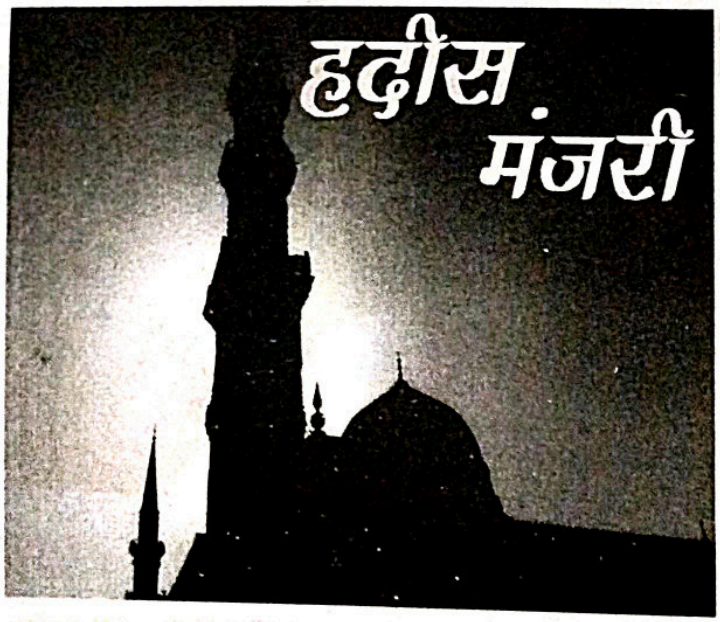

खान-पान के आचार

● हज़रत उमर बिन अबी सलमह (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझसे कहा : "अल्लाह का नाम लेकर अपने दाएं हाथ से खाओ और खाओ अपने सामने से ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जब तुममें से कोई खाये तो उसे चाहिए कि अल्लाह तआला का नाम ले और यदि आरंभ में अल्लाह तआला का नाम लेना भूल जाए तो वह कहे 'बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आख़िरहू' (अल्लाह के नाम से इसका आरंभ भी और अंत भी) ।" –अबू दाऊद, तिरमिज़ी

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "जब कोई व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करे और प्रवेश करते समय और खाना खाते समय अल्लाह तआला को याद करे तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारे लिए न तो यहां रात व्यतीत करने की जगह है और न रात्रि का भोजन है। और जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे और प्रवेश करते समय अल्लाह तआला को याद न करे तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है कि तुम्हें रात व्यतीत करने की जगह मिल गयी । और जब व्यक्ति खाना खाते समय अल्लाह तआला को याद नहीं करता तो वह (शैतान) कहता है कि तुम्हें रात व्यतीत करने की जगह मिल गयी और रात्रि का भोजन भी ।" –मुस्लिम

● हज़रत हुज़ैफ़ह (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि जब कभी हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ खाने पर होते तो जब तक अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) खाना खाना आरंभ न करते और इसके लिए अपना हाथ न बढ़ाते, हम लोग खाने में हाथ न डालते । एक बार हम आपके साथ खाने पर थे कि एक लड़की आयी जैसे कि कोई उसको ढकेल रहा है, वह अपना हाथ खाने में डालने ही वाली थी कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उसका हाथ पकड़ लिया । फिर एक ग्रामीण आया जैसे उसे भी कोई ढकेल रहा है, (उसने भी खाने में हाथ डालना चाहा) आपने उसका भी हाथ पकड़ लिया । फिर अल्लाह के रसूल ने कहा : "शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझता है जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया जाए । अतः वह इस लड़की को लाया ताकि उसके द्वारा खाने को अपने लिए हलाल कर ले, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया (क्योंकि यह लड़की बिना अल्लाह का नाम लिए खाने वाली थी) फिर वह इस ग्रामीण को ले आया कि उसके द्वारा खाने को अपने लिए हलाल कर ले, तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ लिया । उस (अल्लाह) की क़सम जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, उस शैतान का हाथ भी इन दोनों हाथों के साथ मेरे हाथ में है ।" फिर आपने अल्लाह तआला का नाम लिया और खाना खाया ।

–मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

इस्लाम-सत्य धर्म की जीवन संहिता

इस्लाम सत्य एवं ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है । इसका एक बड़ा उद्देश्य सत्य और ज्ञान की खोज तथा मानव जीवन में इनका क्रियान्वयन है । यह वह सत्य धर्म है जिसे अल्लाह तआला ने अपने बंदों के लिए पसंद फ़रमाया है । उसी के साथ उसने अपने संदेशवाहकों और पैग़म्बरों को भेजा और अपनी पुस्तकें अवतरित कीं । रहती दुनिया तक, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने उसे हर समय काल और स्थान के लिए इसे एक सर्वव्यापी धर्म बनाया एवं इस्लाम का अनुसरण और अनुपालन सुगम बनाया । इस्लाम जहां एक तरफ़ मानव की उत्पत्ति की वास्तविकता, इस संसार में उसके उद्देश्य, अपने पालनहार के प्रति उसके कर्तव्यों को स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर उस समाज के प्रति भी मार्गदर्शन करता है जिसमें मनुष्य जीवन-यापन करता है । इस्लाम उसे शांतिपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक संपूर्ण जीवन-व्यवस्था प्रदान करता है, जिसका पालन करके वह इस संसार के बाद परलोक में भी सफल होगा । इस्लाम ने सारी मानवता को सत्य-ज्ञान के अनुपालन के साथ जीवन जीने का सर्वोत्तम और सभ्यतम ढंग बताया । उसने लोगों को बताया कि मानवता एक है । सारे मनुष्य मौलिक रूप से एक हैं और एक ही पिता आदम (अलैहि॰) एवं माता हव्वा की सन्तान हो । पवित्र क़ुरआन में है–"लोगो, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो । वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक परहेजगार है (49-13)।" इस्लाम ने किसी जाति, बिरादरी, रंग, वर्ण, क्षेत्र व क़बीले के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं ठहराया है । हज के अवसर पर अपने अंतिम उद्बोधन में इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है, और तुम्हारे पिता आदम एक हैं । सुन लो कि न किसी अरबी को अजमी पर कोई प्राथमिकता प्राप्त है और न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न काला गोरे से बेहतर है और न गोरा काले से, हां । श्रेष्ठता और सम्मान का कोई मापदंड है तो वह तक़्वा (अल्लाह का भय) है । "..." सारे इन्सान आदम की संतान हैं और आदम की हक़ीक़त इसके अलावा क्या है कि वे मिट्टी से बनाए गये । अब प्राथमिकता के सारे दावे मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं ।"

इस्लाम ने इस सोच को इतना मिटाया कि वे अरब जो जातिवाद पर जीते थे, उसी का दंभ रखते थे, हर समुदाय दूसरे पर अपनी प्रधानता साबित करने में लगा रहता था, इस्लाम स्वीकार करने के बाद सब सच्चे अर्थों में भाई-भाई बन गये । हब्शा के बिलाल (रजि॰), रोम के सुहैब (रज़ि॰), फ़ारस के सुलैमान (रज़ि॰) और क़ुरैश के अबू बक्र (रज़ि॰) सब एक झंडा तले एकत्र हो गये थे । ज़ाहिर है कि दुनिया के सारे इन्सान आदम की संतान हैं, तो फिर भेद-भाव क्यों ? इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के आगमन के समय अरब देश समेत पूरी दुनिया जाति, रंग, नस्ल, क्षेत्र, क़बीले, पारिवारिक व नागरिक भेदभाव में बुरी तरह जकड़ी हुई थी । मानवता की इतनी दुर्दशा थी कि वह इस जकड़बंदी से

निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी । इस्लाम ने लोगों को बताया कि मानवता एक है, सारे इन्सान मौलिक रूप से एक हैं, उनकी नस्ल मूलतः एक है । रंग, नस्ल और क़बीले एवं क्षेत्र का भेद केवल आपस की पहचान तथा प्रेमभाव के लिए है, झगड़े और भेदभाव के लिए नहीं । इस्लाम ने घोषणा की कि इन्सान का सम्मान और समाज में उसका स्थान उसके मानवीय गुणों पर निर्भर करता है । जाति-बिरादरी, रंग, नस्ल, पद आदि का इसमें कोई दख़ल नहीं ! वास्तव में इन्सान के वास्तविक अधिकार उसकी मानवता के साथ संबद्ध हैं । क़ुरआन में है, "यह तो हमारी कृपा है कि हमने आदम की सन्तान को श्रेष्ठता दी...और अपने बहुत-से पैदा किये हुओं पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की (17-70)।" यह इस्लामी शिक्षाओं का प्रभाव था कि लोगों ने जाना कि इन्सान अपने आप में अल्लाह के निकट उच्च स्थान रखता है, जिसका आधार रंग, नस्ल, वंश, जाति, क्षेत्र, देश नहीं है । यह इन्सान की एक प्रकार से नयी उत्पत्ति थी, जो उसके भौतिक उत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी । अल्लाह ने इन्सानों के बीच विशिष्टता और श्रेष्ठता का आधार ईमान एवं विश्वास को क़रार दिया है । इस्लाम ने ईमान व विश्वास के संबंध में ज़ोर-ज़बरदस्ती का तरीक़ा नहीं अपनाया और न ही विश्वास का इन्कार करने वालों के साथ अभद्र व्यवहार की अनुमति दी । क़ुरआन में है, "धर्म के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है । सही बात ग़लत विचारों से अलग छांट कर रख दी गयी है । अब जिस किसी ने बढ़े हुए फ़सादी का इन्कार करके अल्लाह को माना, उसने एक मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है (2-256)।" इस्लाम में न्याय, शांति, सद्भाव आदि एक व्यापक एवं सर्वांगीण सामूहिकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है । पवित्र क़ुरआन का आदेश है–"अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुन्कर", अर्थात भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको । एक अन्य शिक्षा है–भले कर्म-कल्याण में सहयोग और अत्याचार-अनाचार से दूरी । सारे इन्सानों विशेषकर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हर अच्छाई-भलाई की बात कहें और हर बुराई से बचने की बात कहें । साथ ही दुनिया में जहां कोई अच्छा काम, कल्याण की योजना, न्याय का प्रयोजन एवं मानवता की भलाई का किंचित प्रयास भी हो रहा हो, उसमें सहयोग करें । इस काम में किसी भेदभाव से काम न लिया जाए । जीवन के लिए प्रत्येक मनुष्य को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है । भौतिकवादियों ने इन आवश्यकताओं को भौतिकता और विलासिता तक सीमित कर दिया है । आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं हृदयगत आत्मिक भावों व बोध की सिरे से अनदेखी कर दी जाती है । इस्लाम इन्सान का सहज-स्वाभाविक धर्म है, इसलिए वह इस मौलिक आवश्यकता को नकारता नहीं । वह इसे समाहित कर इन्सान के व्यक्तित्व को संतुलित बनाकर सारी मानवता का भला करता है । इस्लामी दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह कोई भी हो, खाने-कपड़े, मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने का अधिकार है । मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्लाम ने सामूहिक न्याय, सामाजिक सहयोग और परस्पर सहायता की परिकल्पना के अंतर्गत सभी सामाजिक वर्गों एवं व्यक्तियों को पाबन्द किया है । वह इस्लामी राज्य को भी इसका पाबन्द बनाता है कि वह अपने समस्त नागरिकों चाहे वे मुसलमान हों या न हों, अपने कोष से उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करे । इस्लाम ने मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकता का पूरा ख़याल रखा है । इसके लिए मुसलमानों पर यह ज़िम्मेदारी डाली है कि वे सभी मनुष्यों तक पालनहार-प्रभु का संदेश पहुंचाएं ।

समारोहों का भगवाकरण

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही भगवा रंग को विशेष महत्व दिया जाने लगा है । भाजपा और संघ से संबंधित तथा उससे वैचारिक निकटता रखने वाले राजनैतिक और सामाजिक लोग भगवा रंग में रगंना पसंद करें तो बात किसी हद तक तर्कसंगत प्रतीत होती है, परन्तु आम जन और विशेष रूप से ऐसे लोग जो समाज में अपना रंग ज़माना चाहते हैं तथा सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को धूमिल करने की ताक में लगे रहते हैं अपने गलों में भगवा अंगोछा पहनकर स्वयं को भगवान का सिपाही के रूप में दिखाने का प्रयास करते नज़र आने वाले लोगों को किस वैचारिक श्रेणी में फिट किया जाए ? हिन्दू तो हिन्दू कुछ मुसलमानों जैसे नामों वाले और अन्य धर्म के लोग भी भगवा रंग ग्रहण करके बहती गंगा में हाथ धोकर खुद को देशभक्त प्रमाणित करने के लिए प्रयासरत हैं ।

बात अगर अवाम तक भी रहती तो ठीक थी, परन्तु शासन और ज़िला प्रशासन के उच्चाधिकारी वर्ग जब ऐसा प्रयास करने लगें तो चिंता की बात हो जाती है । चिंता इसलिए कि शासन स्तर पर जिस कार्य के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया, सरकार की प्रशंसा प्राप्त करने और अपनी वफ़ादारी जताने के लिए अधिकारी वर्ग सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के दोषी हो रहे हैं, जिसका स्पष्ट परिणाम यह है कि एक ओर तो सरकार की बदनामी हो रही है तो दूसरी तरफ़ अल्पसंख्यक वर्ग विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में भय और आशंका जड़ पकड़ती जा रही है ।

ऐसे ही मौक़ापरस्त और समय के साथ अपनी वफ़ादारियां बदलने वाले अधिकारियों के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में भी भगवा कलर अपना रंग जमाने लगा है, बल्कि विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं में निमंत्रण के लिए भी भगवा रंग का प्रयोग कर अपनी वफ़ादारी का सबूत प्रकट किया जा रहा है, हालांकि ऐसा करने के लिए शासन ने किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिये हैं ।

ऐसा ही एक उदाहरण ज़िला मेरठ में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में देखने को मिला, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च अधिकारीगण सरकार के प्रति अपनी कथित वफ़ादारी प्रमाणित करने के लिए शासन के आदेशों की अवहेलना कर शांति के वातावरण में सांप्रदायिकता का ज़हर घोलने का प्रयास कर रहे हैं ।

प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार ने समाज में सर्वधर्म सम्भाव एवं सामाजिक समरसता को बल प्रदान करने के मक़सद से ज़िला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन कर उसमें शामिल होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता एवं परंपरा व रीति-रिवाज के मुताबिक़ विवाह कराने के निर्देश दिये थे । यह योजना प्रदेश के ग़रीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ज़रूरतमंदों, निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य महिला वर्ग चाहे उनमें कन्या हों, विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाक़शुदा महिलाएं हों, की शादी के लिए शादी अनुदान योजना के माध्यम से उन्हें आवश्यक घरेलू सामग्री के साथ आर्थिक सहायता प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया गया है ताकि बी॰पी॰एल॰ वर्ग के लोग धन के अभाव में वैवाहिक सुख से वंचित न रह सकें ।

परन्तु 10 फ़रवरी, 18 को मेरठ में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों ने सरकार की मंशा और निर्देशों के विपरीत विवाह समारोह में विवाह के लिए आए मुस्लिम जोड़ों से भी हिन्दू संस्कृति के अनुसार दूल्हा-दुल्हन को एक दूसरे के गले में वर मालाएं डलवाई गयीं और अधिकारियों के सामने उनकी परेड करायी गयी, उसके बाद उनका निकाह कराया गया । मुस्लिम जोड़ों के साथ किया जाने वाला यह अमल इस्लामी मान्यताओं के विपरीत था, जिस पर वहां निकाह पढ़ाने आए शहर क़ाज़ी एवं मुस्लिम वर्ग के लोगों द्वारा सख़्त आपत्ति जताते हुए अपना विरोध व्यक्त किया गया ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ज़िलाधिकारियों को प्रेषित पत्र में सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के लिए आने वाले

प्रत्येक समुदाय के लिए उन्हीं के धर्म और धार्मिक मान्यताओं एवं संस्कारों के साथ विवाह संपन्न करने के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकारी अधिकारी किस प्रकार सरकार के प्रति अपनी कथित वफ़ादारी प्रकट करने के लिए शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा कर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं ।

वहीं दूसरी ओर इस घटना से मुस्लिम समुदाय में फैली बेचैनी से शंका उत्पन्न होती है कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना केवल एक विशेष समुदाय के लिए ही विशेष होकर न रह जाए, क्योंकि ज़िले के जनप्रतिनिधियों तथा हज़ारों लोगों की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के 22 जोड़ों के साथ होने वाले विवाह के अवसर पर निकाह से पूर्व मंच के सामने उनकी परेड और वैदिक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक-दूसरे के गले में वरमाला पहनाने की क्रिया ने प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है ।

ग़रीबी और दरिद्रता से जूझते मुस्लिम वर्ग के लोग कैसे सामूहिक विवाह योजना से लाभांवित हो सकेंगे ? क्या वे तुच्छ लाभ के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत विवाह करने के लिए आमादा होंगे ? क्या इस प्रकार के क्रियाकलापों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में सर्वधर्म सम्भाव एवं सामाजिक समरसता को बल प्रदान करने में सहायक होगी ? इससे पूर्व सरकारी अधिकारियों की शह पर ही हज हाऊस का भी भगवाकरण करने का प्रयास किया गया था, जिससे सरकार को शर्मिन्दगी उठानी पड़ी थी ।

इससे पहले कि पानी सिर से ऊंचा हो, प्रदेश सरकार को ऐसे संवेदनशील और सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को दूषित करने वाले मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अपने बेलगाम उच्च अधिकारियों पर नकेल कसनी होगी, ताकि मौक़ापरस्त और समय के साथ अपनी वफ़ादारियां बदलने वाले तथाकथित "वफ़ादार अधिकारियों" की मनमानी वफ़ादारियों पर अंकुश लग सके तथा इसी के साथ मंच पर विराजने वाले माननीय जनप्रतिनिधियों को भी सचेत करना होगा कि वे सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी पूछा जाए कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ते देखना कैसे बर्दाश्त किया ?

एम॰ शैजी
नगीना, बिजनौर (उ॰प्र॰)

वैलेंटाइन : पश्चिम का कल्चर

भिन्न कल्चर वाले भारतीय समुदायों में त्योहारों की अंबार-सी है, आए दिन अलग-अलग समुदाय का त्योहार देखने को मिलता है जिसमें ईद, दीपावली, क्रिसमस सहित कई सारे त्योहार हैं जिसे हम काफ़ी दिलचस्पी से मनाते और उसकी अहमियत भी देते हैं, कारण यह कि इससे पूर्वजों को याद करने तथा ईश्वरीय लगाव को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है, इसके अतिरिक्त आपस में भिन्न जाति समुदाय के बीच सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने में यह त्योहार अहम भूमिका भी निभाता है ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रहित में कई सारे डे भी हैं जिसे हम सब दिलचस्पी से मनाते और उसका अहमियत भी देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें डे के रूप में मनाने से हमारी राष्ट्र की भावनाएं जुड़ी होती हैं और उसको याद रखना हमारा कर्तव्य भी है क्योंकि उस दिन को याद करने से हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न होती, राष्ट्र के प्रति हमारी सोच और व्यापक होती है, पूर्वजों के जैसे राष्ट्र के प्रति निछावर होने की प्रेरणा मिलती है !

लेकिन विडंबना है कुछ ऐसे डे को लेकर जिसको मनाने से हमारी समाज समुदायों तथा विभिन्न जातियों के बीच फ़ायदे पहुंचने की लिहाज़ से दूर-दूर तक कोई सरोकार नज़र नहीं आता है, फिर भी आज वह हमारे समाज को दिन-प्रतिदिन अपनी ओर खींचे चले जा रहे हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण 14 फ़रवरी वैलेंटाइन डे है जिस पर हमारी युवा पीढ़ी प्रेम-मुहब्बत के नाम पर फूहड़ता के हद को पार कर गये, कई न्यूज चैनलों से मिली ख़बर के मुताबिक़ अवैध संबंध बनाने के कारण, एक दूसरे समुदाय तथा जाति विशेष के बीच नफ़रत फैल गयी, फिर भी आए वर्ष इस प्रकार के चालान बढ़ते जा रहे हैं, हद तो इस प्रकार बढ़ गयी है जब इसमें हमारे बुजुर्ग भी काफ़ी दिलचस्पी से अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अलग-अलग अंदाज़ में अपनी मुहब्बत की ताईद कर रहे और करा रहे हैं, लेकिन ज़रा हम सोचे कुछ और नहीं तो फ़ायदा और नुक़सान को लेकर ही सही समाज में इस प्रकार के पश्चिमी फूहड़ कल्चर को

फैलाकर अपने समाज को क्या अच्छे उपहार दे रहे हैं, हमने कभी इनके बारे में सोचा कि आख़िर हमारे समुदाय समाज को पश्चिमी कल्चर द्वारा फैलाए गये डे से हमारी कल्चर को कितने फ़ायदे, कितने नुक़सान हैं ।

हम ज़रा सोचें क्या पश्चिमी कल्चर के इन्हीं परंपरा को दिखाकर या अपना कर अपनी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की तरफ़ जाने के संकेत देंगे, क्या इन्हीं वैलेंटाइन डे, गुलाब डे व चॉकलेट डे विभिन्न प्रकार के डेको मनाकर लोगों के बीच यह भावनाएं उत्पन्न करेंगे कि हम विकास कर रहे हैं, हम पश्चिमी मुल्क के क़दम से क़दम मिलाकर के चल रहे हैं, आख़िर हम उनके उन बातों को क्यों नहीं समझते जिससे वह विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हुए, आज पश्चिमी मुल्क के उन तरीक़ों को क्यों ग्रहण कर रहे हैं जिन कारणों से आज खुद वो विनाश की ओर अग्रसर है उन्हीं को हम अपने समाज में अपना कर विकसित होने के सबूत दे रहे हैं ।

हम युवाओं को उन सारी बातों पर ग़ौर फ़िक्र करना होगा जिससे हमारी समाज अपनी राह से भटकते जा रहे हैं और अपनी जीवनशैली को पश्चिमी शैली के अंतर्गत निर्माण करते जा रहे हैं उससे बचना होगा, जिसको हासिल करने से सेवाएं नुमाइश और दिखावा के कुछ नहीं मिल सकता, आज इन्हीं के वजह से ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर कम पढ़े-लिखे लोग इन छोटी-छोटी पश्चिमी परंपराओं में डूबते जा रहे हैं और उन्हीं को आधुनिक युग का विकास समझ रहे हैं, आज हमें उन्हें जागरूक करना होगा क्या कुछ इससे हमें मिल रहा है, आख़िर ऐसे डे को मनाने और बढ़ावा देने से हमारे समाज को क्या परिवर्तन हासिल हो रहा है, क्या हम इन पश्चिमी फूहड़ कल्चर को हासिल करे जिससे एक प्रेम और मोहब्बत का डे बोलकर कर नारकीय जीवन की ओर धकेलना चाहते हैं ।

महताब आलम
मोतिहारी (बिहार)

स्तरीय रचनाएं

आशा है, प्रभु-कृपा से आप स्वस्थ व सानन्द रहकर अपनी पत्रिका 'कान्ति' के संपादन में संलग्न होंगे ।

राजधानी से प्रकाशित इस पत्रिका में गद्य व पद्य दोनों विधा की स्तरीय रचनाएं स्थान पा रही हैं, यह प्रसन्नता की बात है ।

हम पत्रिका के उत्तरोत्तर उत्कर्ष के साथ आपके स्वस्थ सुदीर्घ जीवन की मंगलकामना करते हैं ।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह
करछना, इलाहाबाद

लघुकथा

बेदख़ल

''मैं तुम सबको तबाह करके रख दूंगी, पूरे ख़ानदान को जेल पहुंचाकर दम लूंगी'' बहू के इन वचनों से पूरा परिवार सकते में आ गया । मुहल्ले भर में अपनी शराफ़त के लिए प्रसिद्ध परिवार की बहू ने ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया ।

बेटा किकर्तव्यविमूढ़ कभी बहू की ओर देख रहा था, तो कभी थरथराते पिता की ओर । कातर नज़रों से बीमार मां की ओर देख रहा था, जिन्हें अपने से ज़्यादा ससुराल में सुखी बेटियों के बेवजह जेल जाने की आशंका सता रही थी ।

आख़िर में वकील की सलाह से उन्होंने अख़बार में विज्ञापन देने में भलाई समझी ।

हमारा बेटा और बहू हमारे कहने-सुनने में नहीं है और रोज़ हमसे झगड़ा करते हैं इसलिए हम उन्हें अपने परिवार से बेदख़ल करते हैं । इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है ।

बहू के साथ बेटा भी ख़ानदान से बेदख़ल हो चुका था ।

अशफ़ाक़ क़ादरी
बीकानेर (राज॰)

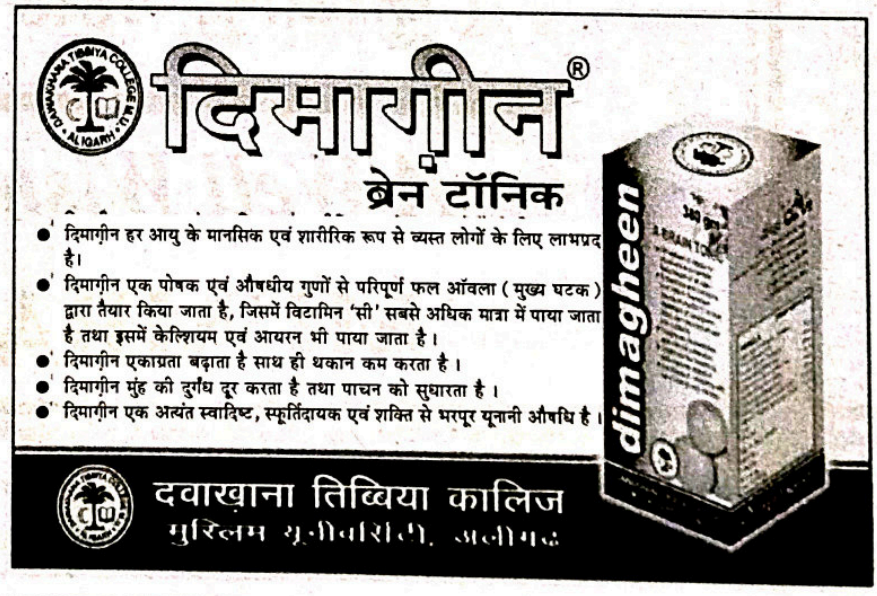

"ऐ नबी, हमने तुमको गवाही देने वाला, ख़ुशख़बरी देने वाला और सावधान कर देने वाला बनाकर भेजा है ताकि ऐ लोगो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका (अर्थात रसूल का) साथ दो, उसका आदर व सम्मान करो और सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह (गुणगान) करते रहो।"

(क़ुरआन, 48:8-9)

A Well Wisher

MUMBAI

भक्ति : कुछ महत्वपूर्ण पहलू

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

भक्ति को अरबी में 'उबूदियत' कहते हैं, अर्थात किसी का बन्दा बन जाना । इसी लिए 'उबूदियत' को बन्दगी से भी अभिव्यंजित करते हैं । बन्दगी या भक्ति के विषय में सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए । अर्थात किसे यह अधिकार प्राप्त है कि उसी की भक्ति की जाए और लोगों के लिए क्यों अनिवार्य है कि वे भक्ति का मार्ग ग्रहण करें और भक्ति ही को अपने जीवन का मौलिक उद्देश्य जानें ?

इस सिलसिले में यह भी जानना ज़रूरी है कि भक्ति के कितने पहलू और पक्ष होते हैं ? भक्ति का मार्ग अपनाने में इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है । भक्ति या बन्दगी किसकी की जाए, इस संबंध में कुरआन ने हमारा मार्गदर्शन किया है और उसने मानवों को संबोधित करते हुए कहा है, "ऐ लोगो, अपने रब की बन्दगी करो जिसने तुम्हें और तुम से पहले के लोगों को पैदा किया है ताकि तुम बच सको ।" (कुरआन, 2:21)

आगे चलकर कुरआन ने यह भी बताया है कि ईश्वर ने ही मानवों के लिए धरती बनाई है और आकाश की छत उसी ने क़ायम की है और धरती से मानवों के लिए फल और खाद्य-पदार्थ उसी ने निकाले और फिर यह भी बताया है कि मनुष्यों के लिए अमर जीवन की योजना उसी ने बनाई है किन्तु सुखमय अमर जीवन उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो वास्तव में ईश्वर की बन्दगी या भक्ति का मार्ग ग्रहण करेंगे । और जो लोग ईश्वर की योजना के विरुद्ध नीति अपनाएंगे वे उसके प्रकोप के भागी होंगे और दुखमय यातना ही उनका भाग्य बनकर रहेगा ।

कुरआन के इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर ही को यह अधिकार प्राप्त है कि उसकी बन्दगी की जाए । इसलिए कि हमारा स्रष्टा वही है और न केवल यह कि उसने हमें पैदा किया बल्कि जीवन संबंधी अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति भी वही करता है और करेगा । मानव जीवन का स्वभाव यह है कि वह वर्तमान पर संतुष्ट नहीं । उसके लिए कोई सुन्दरतम और सुखमय भविष्य भी चाहिए जो सामान्य लोगों के लिए तो स्वप्नों का संसार प्रतीत होगा किन्तु तत्वदर्शियों के लिए वह स्वप्निल संसार ही जीवन की व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है ।

वर्तमान संसार और लौकिक जीवन भी किसी सुन्दर स्वप्न से कम नहीं है किन्तु अभ्यस्त होने के कारण हम इस विस्मयकारी जगत के मार्मिक पहलू को देख नहीं पाते और स्वप्नों की दुनिया हमें इसकी अपेक्षा अधिक सुन्दर मालूम होती है । जिस ईश्वर की ऐसी कृपा-दृष्टि हम पर है उसके प्रति अपने कर्तव्यों को नकारना किसी बड़े अपराध से कम नहीं ।

कुरआन से यह मालूम होता है कि भक्ति या बन्दगी के मार्ग को त्यागने से केवल यही नहीं कि मनुष्य उन समस्त उपलब्धियों से वंचित रहता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, बल्कि मनुष्य चरित्र, भावना और कामनाओं की दृष्टि से भी पतित होकर रहता है । दूसरे शब्दों में चरित्रवान होने के लिए भी अनिवार्य है कि मनुष्य ईश्वर का बन्दा और दास बनकर जीवन व्यतीत करे ।

अमर जीवन का अधिकारी वह केवल तभी हो सकता है जब उसका जीवन ईश्वरीय आदेशों के अंतर्गत व्यतीत हो । अब हमें इस पर विचार करना है कि भक्ति या उबूदियत के कौन-कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है ।

1. विश्वास

बन्दगी और भक्ति के लिए आवश्यक है कि एक ईश्वर में हमारा पूर्ण विश्वास हो और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ईश्वर ने अपनी किताब (कुरआन) में जो कुछ भी कहा है उसमें हमें किसी प्रकार का संदेह न हो । विश्वास के बिना बन्दगी की राह में एक क़दम भी नहीं चला जा सकता । विश्वास के बिना हम जो भी धार्मिक कर्म करेंगे वह मात्र दिखावा और ढोंग होगा जिसका चरित्र के आदर्श रूप से दूर का भी संबंध नहीं हो सकता ।

विश्वास ही वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य बड़ी से

बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है और त्याग व उत्सर्ग का ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है कि लोग चकित होकर रह जाएं। यह विश्वास ही की शक्ति थी कि हज़रत इबराहीम (अलैहि०) अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल (अलैहि०) की बलि देने को सहर्ष तैयार हो गये। और यह भी विश्वास ही की शक्ति थी कि हज़रत इस्माईल इसके लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार हो गये कि उनकी बलि दे दी जाए।

यदि ईश्वर की प्रसन्नता किसी कार्य में हो तो उसे अंजाम देने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। विश्वास के बिना किसी प्रकार भक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्यान रहे, ईश्वर में विश्वास का अर्थ यह होता है कि मनुष्य न केवल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है बल्कि वह ईश्वर की महानता, उसकी महिमा और उसकी शक्ति को भी स्वीकार कर रहा है। वह ईश्वर की बड़ाई के आगे झुक रहा है और उसका हृदय ईश्वर के प्रति आदर-भाव से भर गया है।

2. प्रेम और आकांक्षा

बन्दगी या भक्ति कोई शुष्क चीज़ नहीं है, बल्कि भक्ति का महत्वपूर्ण पहलू प्रेम एवं कामना है। भक्ति वास्तव में मानव की ऐसी स्वाभाविक वृत्ति है जो प्रेम भाव से भिन्न नहीं। यह उसकी आंतरिक आकांक्षा है इसलिए बन्दगी एवं उपासना या भक्ति के बिना उसे परितोष प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेमभाव या भक्ति से वंचित रहकर मानव की जो दशा होती है उसकी उपमा उजाड़ या मरुभूमि से दे सकते हैं। सच्ची बात यह है कि भक्तिभाव ही जीवन का वास्तविक रस है। जीवन के रसास्वादन के लिए भक्तिभाव का पाया जाना अनिवार्य है।

3. सेवा

बन्दगी और भक्ति का तीसरा अंग और परिणति है 'सेवा'। बन्दगी के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ने जिसकी बन्दगी स्वीकार की है वह उसके आदेशों का पालन करे और उन चीज़ों से बचे जिनको ईश्वर पसन्द नहीं करता। जिन कामों को ईश्वर पसन्द करता है वही सुकर्म हैं और बुरे काम वही हैं जिन्हें ईश्वर ने बुरा कहा है। कुरआन में जगह-जगह ईमान के साथ अच्छे कर्मों का उल्लेख किया गया है। उन अच्छे कर्मों से अभिप्रेत वही कर्म हैं जिनको ईश्वर पसन्द करता है। कर्म का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें व्यक्तिगत कर्म के अतिरिक्त वे सारे कर्म भी आ जाते हैं जिनका संबंध, समाज, अर्थ और राजनीति आदि से होता है।

जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो वह सफलता को पा लेता है। उसके सफल होने में कोई सन्देह शेष नहीं रहता। समर्पण के पश्चात यदि उसकी मृत्यु हो जाए और उसे जीवन में कुछ कर दिखाने का अवसर न मिले तब भी वह पूर्ण काम समझा जाएगा और उसके सफल होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। किंतु समर्पण के पश्चात यदि किसी को दुनिया में जीने का अवसर मिलता है तो इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर संसार में उससे कुछ सेवा कार्य लेना चाहता है।

अब यदि कोई समर्पित होने के पश्चात् सेवा कार्य से भागता और उसकी उपेक्षा करता है तो कहा जाएगा कि वास्तव में ईश्वर के प्रति अभी वह समर्पित हुआ ही नहीं। समर्पण में तो मनुष्य की दशा ऐसी होती है जैसे वह किसी के हाथ बिक गया हो।

ग़ज़ल

बस उनका निबाह नहीं है
जिनके मन में चाह नहीं है

जीवन-नैया, प्रेम-खिवैया
और कोई मल्लाह नहीं है

प्रेम उसी सागर का मोती
जिसकी कोई थाह नहीं है

कैसे भी पा जाएं सभी कुछ
अपनी ऐसी चाह नहीं है

पुष्प वहीं खिलते हैं सुख के
प्रीत जहां है, डाह नहीं है

चांद और सूरज मिल बैठे हैं
ताप है मन में, दाह नहीं है

लक्ष्य 'नदीम' वो पाएं कैसे
जिनमें कुछ उत्साह नहीं है।

नासिर अली 'नदीम'
जालौन (म०प्र०)

एकेश्वरवाद का मानव-जीवन पर प्रभाव

■ डॉ॰ सैयद शाहिद अली

एकेवरवाद के मानने का मतलब निम्नलिखित बातों का मानाना है–

● मनुष्य और सृष्टि का बनाने वाला और चलाने वाला एक खुदा है ।

वह अत्यन्त शक्तिशाली है, सब उसके सामने मजबूर और मुहताज हैं, उसकी मर्ज़ी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता ।

● वह किसी पर निर्भर नहीं है, सब उसपर निर्भर रहते हैं ।

● उसकी न कोई औलाद है और न वह खुद किसी की औलाद है ।

● वह अकेला और एकता है, कोई उसका साझी नहीं ।

उसका न कोई आदि है, न अन्त । जब कुछ नहीं था, तो वह था । वह हमेशा से था, हमेशा रहेगा ।

वही सबका पालनहार और उपास्य है । सब उसके दास हैं ।

● वह सब कुछ जानने वाला है । वह कुछ भी कर सकता है । उसके लिए कुछ असंभव नहीं ।

● वह अत्यंत कृपा करने वाला और दया करने वाला है । वह न्याय और इन्साफ़ करने वाला है ।

● जो कुछ है सब उसी का पैदा किया हुआ है ।

● उस जैसा कोई नहीं । वह बिल्कुल आज़ाद है । सब उसके सामने मजबूर हैं ।

वह तमाम ताक़त का मालिक, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व ताक़तवर है ।

● खुदा सब कुछ जानता है । वह हर जगह मौजूद है । कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर नहीं ।

● वह हमें देखता है, सुनता है, वह हमसे क़रीब है । मगर हम उसे नहीं देख सकते ।

● वह निस्पृह (बेनियाज़) है । उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं । मगर इन्सान को उसकी ज़रूरत है ।

● वही और सिर्फ़ वही इबादत (उपासना) के लायक़ है । कोई उस जैसा नहीं । वह हमें ज़िन्दगी देता है और वही हमें मौत देता है ।

● सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान, अमीरी और ग़रीबी, खुशी व दुख, स्वास्थ्य और रोग, सबका देने वाला या न देने वाला या देकर वापस लेने वाला वही एक खुदा है । व्यक्ति और समाज की सभी बुराइयों की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है और वह है एकेश्वरवाद को न मानना अर्थात यह नहीं मानना कि खुदा है, देख रहा है और सबको उसका सामना करना है । एकेश्वरवाद के सिलसिले में समाज में चार तरह के लोग पाए जाते हैं–

1. पहला वर्ग उन लोगों का है जो एक खुदा का इन्कार करते हैं ।

2. दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो एक खुदा का ज़बान से इक़रार करते हैं, मगर दिल में यक़ीन नहीं रखते ।

3. तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो ज़बान से एक खुदा का इक़रार करते हैं और दिल में यक़ीन भी रखते हैं, मगर उसके आदेशों को नहीं मानते ।

4. चौथा वर्ग उन लोगों का है जो ज़बान से एक खुदा का इक़रार करते हैं और दिल में यक़ीन भी रखते हैं और उसके आदेशों को भी मानते हैं । एकेश्वरवाद को मानने का लाभ तब होता है, जब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खुदा को माना जाए । इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं । मान लीजिए, हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है जो झाड़-झंकार, कंकर-पत्थर से भरा हुआ है और हम वहां गेहूं उगाना चाहते हैं । अगर हम ज़मीन तैयार किये बिना उसमें बहुत उत्तम क़िस्म का बीज डाल दें, तो हमें अच्छी फ़सल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए ।

हमें सबसे पहले झाड़-झंकार और कंकर-पत्थर से ज़मीन को साफ़-सुथरा करना चाहिए और अच्छी तरह ज़मीन तैयार करनी चाहिए । फिर उसमें बीज बोना चाहिए, तब हम अच्छी फ़सल की उम्मीद कर सकते हैं ।

यही मामला इन्सान के मन-मस्तिष्क का भी है । अगर उसमें एक खुदा के अलावा दूसरे खुदा भी मौजूद हों, तो फिर एकेश्वरवाद का पूरा लाभ नहीं मिलता और उसके पूरे प्रभाव इन्सान की ज़िन्दगी पर नहीं पड़ते । एकेश्वरवाद का

मानना इन्सान की ज़िन्दगी में केन्द्रीयता लाना है, न कि संकट और बिखराव ।

मानव जीवन पर एकेश्वरवाद के प्रभाव

इस्लाम के अनुसार, इन्सान एक इकाई (Unit) है । उसकी ज़िन्दगी के सभी पहलू एक-दूसरे से मिले हुए और परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए (Interrelated) हैं । इन्सान के सामाजिक जीवन का आर्थिक जीवन पर, आर्थिक का राजनैतिक पर, राजनैतिक का सामाजिक पर, सामाजिक का मनोवैज्ञानिक पर, मनोवैज्ञानिक का नैतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है । केवल किसी एक पहलू के सही होने से इन्सान का सही होना संभव नहीं ।

इन्सान जब एकेश्वरवाद अर्थात एक और यकता खुदा को मानता है, तो उसकी ज़िन्दगी के सभी पहलू प्रभावित होते हैं । एकेश्वरवाद के प्रभाव इन्सान के जीवन के सामाजिक पहलू, व्यक्तिगत पहलू, आर्थिक पहलू, नैतिक पहलू, राजनैतिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू अर्थात इन्सान की ज़िन्दगी के हर पहलू पर पड़ते हैं ।

इन्सान के ध्यान का एक बिन्दु पर केन्द्रित होना

एकेश्वरवाद का मानना इन्सान को एकाग्रचित्त (Single minded) बनाता है । इस तरह इन्सान की सभी योग्यताएं बढ़ जाती हैं । जैसे सूरज की किरणें बिखरी होती हैं, मगर जब वे एक उन्नतोदर दर्पण या मुहद्दब शीशे (Sunglass) में से पास होती हैं, तो एक बिन्दु पर केन्द्रित होकर आग लगा देती हैं या इसे दूसरे उदाहरण द्वारा इस तरह समझ सकते हैं कि पानी का एक जहाज़ (Ship) हो, जिसका कोई कप्तान न हो और एक दूसरा जहाज़ हो, जिसका कोई कप्तान हो । नतीजा यह होता है कि बिना कप्तान का जहाज़ समन्दर की लहरों और हवा के थपेड़ों पर हिचकोले लेता रहता है और अपनी मंज़िल से भटक जाता है, जबकि वह जहाज़ जिसका कप्तान हो, अपनी मंज़िल तक पहुंच जाता है । एकेश्वरवाद एक पतवार वाले नाव के समान है, जो एकेश्वरवादी इन्सान को अपने गंतव्य और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है ।

संपूर्ण सृष्टि के साथ एकता का एहसास

इन्सान और सृष्टि का एक बनाने और चलाने वाला है । इस बात से इन्सान में एकत्व (Oneness) का एहसास पैदा होता है । वह सब चीज़ों को अपनी ही तरह एक मालिक की मिलकियत या एक स्रष्टा की सृष्टि मानकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है । एकेश्वरवाद इन्सान को व्यापक दृष्टि वाला और विशाल एवं उदार हृदय वाला बनाता है । ऐसा इन्सान अपने लिए जो पसन्द करता है, वही दूसरों के लिए भी पसन्द करता है । वह सबको बराबर समझता है । वह सभी को इज़्ज़त और मुहब्बत का हक़दार समझता है, और किसी को तुच्छ या हक़ीर नहीं समझता ।

एकेश्वरवाद अर्थात यह मानना कि सब खुदा पर निर्भर हैं और खुदा किसी पर निर्भर (Depend) नहीं, इन्सान को आज़ादी और इज़्ज़त दिलाता है और खुद्दार बनाता है ।

पैदा करने वाले से सीधे तौर पर संपर्क

यह मानना कि खुदा हर इन्सान के क़रीब है, उसे देखता और सुनता है, इन्सान को इन्सान की दासता से आज़ाद करता है और बिचौलिए (Middle Man) की अवधारणा या कल्पना से आज़ादी देता है । इन्सान हर तरह के अंधविश्वास से आज़ाद हो जाता है ।

खुदा का डर

डर दो तरह के होते हैं–

1. खुदा का डर,
2. ग़ैर-खुदा का डर,

अर्थात अंधेरा, भूत, जानवर, हानि, दुर्घटना और मौत इत्यादि का डर ।

ग़ैर-खुदा का डर इन्सान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे डरपोक और कमज़ोर बनाता है और खुदा का डर इन्सान पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे बहादुर तथा ताक़तवर बनाता है । जब इन्सान यह मानता है कि सफलता और असफलता, दुख और सुख, अमीरी और ग़रीबी, ज़िन्दगी और मौत, सम्मान और अपमान, हानि और लाभ, स्वास्थ्य और रोग, बल और निर्बलता सबका देने या न देने या देकर वापस लेने वाला एक खुदा है, तो इन्सान एक बहादुर सिपाही, हिम्मत वाला व्यापारी, ईमानदार टीचर, सही डॉक्टर, भला इंजीनियर बनता है ।

विनम्रता और सज्जनता

एक बेहद ताक़तवर और हमेशा रहने वाले (Permanent) खुदा को मानने का नतीजा यह होता है कि इन्सान अपनी ताक़त को उसकी ताक़त के सामने कम और अस्थायी (Temporary) समझने लगता है । इसका असर यह होता है कि ऐसा इन्सान जान लेता है कि खुदा कमज़ोर का भी साथी है । इसका नतीजा यह निकलता है कि हक़ के रास्ते में वह कमज़ोर को ताक़तवर और ताक़तवर को कमज़ोर समझने लगता है और न्याय और इन्साफ़ की दृष्टि से काम करता है । इस तरह समाज से अत्याचार घटता है,

बल्कि अत्याचार का ख़ात्मा हो जाता है और इन्सान में विनम्रता पैदा होती है। लोग अत्याचार इसलिए करते हैं कि वे खुद को बहुत ताक़तवर और अपनी ताक़त को हमेशा रहने वाली (Permanent) समझने लगते हैं।

घमंड न करना

एकेश्वरवाद का मानना यह है कि इन्सान समझे कि खुदा ही देने, न देने और देकर वापस लेने वाला है। इस बात का प्रभाव इन्सान पर यह पड़ता है कि वह अपनी दौलत, ताक़त, योग्यता, क्षमता और औलाद पर घमंड नहीं करता, बल्कि शुक्र करता है, अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा बनकर रहता है और सारे इन्सानों का हितैषी बनने की हर संभव कोशिश करता है।

खुदा इन्सान को उसके अपने घर में ही अपमानित कर सकता है। उसके अपने बिस्तर और शरीर में क़ैद कर सकता है। उसके अपनों को ही उसका दुश्मन बना सकता है। इन्सान को खुद उसकी अपनी ताक़त को ही उसके लिए मुसीबत बना सकता है। इस बात का मानना इन्सान को घमंडी होने से रोक देता है।

एकेश्वरवाद को मानते हुए इन्सान जब सजदा करता है और अपनी नाक ज़मीन पर रखता है, तो व्यावहारिक रूप से खुदा की बड़ाई के सामने अपनी तुच्छता या कमतरी का इज़हार करता है।

बेहद उम्मीदें

दुनिया की सारी तरक्क़ियों और आविष्कारों के पीछे एक चीज़ होती है और वह है उम्मीद, कामयाबी की उम्मीद। प्रत्येक वैज्ञानिक उम्मीद के सहारे अपनी खोज एवं शोध की शुरुआत करता है, जान-तोड़ कोशिश करता है, जो उसे कामयाबी तक ले जाती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद, उतनी ज़्यादा जान-तोड़ कोशिश और उतनी ज़्यादा कामयाबी।

उम्मीद इन्सान को काम करने के लिए प्रेरित करती है–किसान को फ़सल की उम्मीद, रोगी को सेहत या स्वास्थ्य की उम्मीद, व्यापारी को लाभ की उम्मीद, विद्यार्थी को सफलता की उम्मीद और सैनिक को जीत की उम्मीद ही जान-तोड़ कोशिश के लिए उभारती है।

इन्सान जब एकेश्वरवाद को मानता है, तो फिर वह एक ऐसे खुदा को मानता है जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है। कोई भी उसके क़ाबू से बाहर नहीं। वह जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। वह कभी और किसी भी असफलता को सफलता में, दुख को खुशी में और ग़रीबी को अमीरी में बदल सकता है। इस तरह एकेश्वरवाद का मानने वाला इन्सान कभी निराश नहीं होता, निराशा का शिकार नहीं होता। वह हमेशा आशावान रहता है, आशा एवं उत्साह से भरा रहता है, निराशा, उदासी और अवसाद से सुरक्षित रहता है और आत्महत्या कभी नहीं करता।

एकेश्वरवाद को मानने वाला व्यक्ति अपनी सभी सफलताओं और असफलताओं का श्रेय खुदा को देता है। नतीजा यह होता है कि वह सफलता पर घमंड नहीं करता और असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि सफलता पर खुदा शुक्र अदा करता और असफलता पर धीरज रखता है।

खुदा की चेतना

एकेश्वरवाद का मानने वाला यह मानता है कि खुदा है और वह सब कुछ देख और सुन रहा है। यह एहसास उसे सारी बुराइयों से बचा लेता है और उसे हर तरह की अच्छाइयां करने के लिए उभारता है। ऐसा इन्सान अपने हर वादे को खुदा से किया हुआ वादा जानता और मानता है ऐसा इन्सान अपनी कथनी और करनी में पूरा उतरने की कोशिश करता है, ऐसा इन्सान लोगों का पूरा-पूरा हक़ अदा करने वाला बनता है, जिससे समाज में आपसी विश्वास और सामाजिक न्याय और शुभेच्छा पैदा होती है।

खुदा के साथ होने का एहसास इन्सान को हर समय सतर्क रखता है।

खुदा हर चीज़ को जानता है, यह एहसास इन्सान के मामलों को बदल देता है। आज दुनिया में जो संकट या समस्या नज़र आती है, उसका कारण कहीं अत्याचार है और कहीं अत्याचार की प्रतिक्रिया–कभी ताक़तवर की तरफ़ से और कभी कमज़ोर की तरफ़ से।

खुदा के होने का एहसास इन्सान को न्याय और अन्याय के वर्गों में सोचना सिखाता है अर्थात न्याय क्या है और अन्याय क्या, इससे इन्सान को यह एहसास अच्छी तरह वाक़िफ़ कराता है, न कि मेरा लाभ और मेरी हानि, मेरी पसन्द और मेरी नापसन्द के वर्गों में।

आज दुनिया शांति और सलामती की बात करती है, न्याय और इन्साफ़ की नहीं, जबकि शांति और सलामती नतीजा है न्याय और इन्साफ़ का। सिर्फ़ एकेश्वरवाद (तौहीद) का एहसास ही इन्सान को न्याय और इन्साफ़ करने वाला बनाए रखता है और हमेशा बनाए रख सकता है।

हज़रत मआज़ बिन जबल (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "लोगों में सबसे अधिक मेरा सामीप्य (अल्लाह का) डर रखने वालों को प्राप्त है, वे जो भी हों और जहां-जहां भी हों।"

(अहमद)

A Well Wisher

MUMBAI

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के रसूल होने के तार्किक प्रमाण

■ मौलाना जलालुद्दीन उमरी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का जीवन उनके रसूल होने का एक बड़ा प्रमाण है । आपका परिपक्व चरित्र, दृढ़ संकल्प, बुलन्द हौसले, ईमान व यक़ीन खुदा से जुड़ाव, सद्व्यवहार और निःस्वार्थता इस बात की गवाही देते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं । आपके भीतर ऐसी असामान्य योग्यताएं और अनुपम विशिष्टताएं विद्यमान थीं, जो खुदा के किसी पैग़म्बर में ही पायी जा सकती हैं । इतिहास में जितने महान व्यक्तित्व गुज़रे हैं उनकी महानता उनके जीवन के किसी एक पहलू से उभरती है और फिर उनके पूरे जीवन पर छा जाती है । यदि उस विशेष पहलू को अनदेखा कर दिया जाए तो उनकी महानता समाप्त हो जाती है ।

शेक्सपियर और शैख़ सादी की गिनती दुनिया के चोटी के साहित्कारों में हुई है । हो सकता है उनमें साहित्य के अलावा भी बहुत-सी विशिष्टताएं हों, लेकिन ये उनकी महानता के प्रमाण नहीं हैं । उनके जिस पहलू ने उन्हें सामान्य स्तर से ऊंचा उठाया वह उनका साहित्य है । यदि उनका साहित्य उनसे अलग कर दिया जाए तो वे सामान्य लोगों के साथ खड़े नज़र आएंगे ।

इसके विपरीत मुहम्मद (सल्ल॰) के जीवन का अध्ययन हम जिस पहलू से भी करते हैं यह स्वीकार करना पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व महानतम था । आपने चालीस वर्ष की आयु में रिसालत का दावा किया, उसके बाद उनका चरित्र रिसालत के पद से इस प्रकार मिल गया कि दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता । इस दावे से पहले भी आपका व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ था कि कोई और व्यक्तित्व उस ऊंचाई का कहीं नज़र नहीं आता । चरित्र और शिष्टता की दृष्टि से आपका स्थान इतना ऊंचा था कि यदि वे रसूल न होते तो भी इतिहास को लिखना पड़ता कि उस स्तर का व्यक्ति पैग़म्बरों के अलावा कोई और पैदा नहीं हुआ ।

आप सच्चे और न्यायप्रिय इन्सान थे । आपकी प्रत्येक बात सच्ची होती और उनका प्रत्येक निर्णय न्याय पर आधारित होता आपका जीवन इतना साफ़-सुथरा और बेदाग़ था कि किसी ने कभी आपमें किसी नैतिक बुराई की शिकायत नहीं की । आपने साथियों को ही नहीं शत्रुओं को भी लाभ पहुंचाया, आप अपनों के लिए भी रहमत थे और दूसरों के लिए भी आप एक ईमानदार व्यापारी, शान्तिप्रिय नागरिक और शुभेच्छु पड़ोसी थे । आपकी क़ौम ने बार-बार तजुर्बा करने के बाद आम राय से घोषणा की कि "यह अमानतदार आदमी हैं ।" ऐसा व्यक्तित्व रखने वाला मनुष्य जब अपने रसूल होने का दावा करता है तो उसे झूठा कहते हुए शर्म आती है और अंतरात्मा मलामत करने लगती है । यहां हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰ के पवित्र जीवन के कुछ विशेष पहलू प्रस्तुत किये जाते हैं–

गंभीर व्यक्तित्व

मुहम्मद (सल्ल॰) बहुत ही गंभीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आपका पूरा जीवन और लोगों के साथ संबंध गवाह हैं कि आप ग़ैर संजीदा नहीं थे । लोग आपकी बातों को कभी मज़ाक़ नहीं समझते थे । अन्दर गंभीरता और शालीनता थी, जो प्रत्येक काम में नज़र आती थी । लोग उन्हें मामलों और विवादों का आपसे निबटारा कराते थे । आपके दूरदर्शिता-पूर्ण फ़ैसले का आदर करते व सहर्ष स्वीकार करते थे ।

नुबूवत से पांच वर्ष पूर्व की घटना है कुरैश ने काबा के नवनिर्माण का इरादा किया । जब निर्माण कार्य होने लगा तो इस बात की काफ़ी असहमति पायी गयी कि हज़रत

इबराहीम (अलै॰) की यादगार हज्रे असवद (काला पत्थर) को कौन उसके नये स्थान पर स्थापित करेगा। विवाद चार-पांच दिनों तक चलता रहा और संभावना थी कि तलवारें निकल जातीं। इतने में लोगों ने आम राय से मुहम्मद (सल्ल॰) को अपना पंच चुन लिया। इसके बाद आपने जो निर्णय दिया उसे सबने खुशी के साथ स्वीकार कर लिया।

सच बोलना

नबी (सल्ल॰) अपनी हर बात में सच्चे थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो यह कह सके कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कभी झूठ बोला हो, इसलिए यह स्पष्ट है कि आपका रिसालत का दावा भी सच्चा था। आपके सच्चे होने की गवाही दुश्मनों ने भी दी है। जब आपने रिसालत का दावा किया तो आपके विरोधियों में नम्र बिन हारिस प्रमुख था, लेकिन उसे भी अपनी क़ौम के आगे यह स्वीकार करना पड़ा कि, ''हम मुहम्मद को बचपन से जानते हैं, उसने चालीस साल तक कभी झूठ नहीं बोला, वह सबसे बड़ा अमानतदार व्यक्ति है। उसके कलाम के कारण हम उसे झूठा नहीं कह सकते।''

सम्राट हिरक़्ल ने जब अबू सुफ़ियान (रज़ि॰) से जो उस समय इस्लाम के सबसे बड़े विरोधी थे, से मुहम्मद (सल्ल॰) के विषय में मालूम किया तो यह भी पूछा–

इससे पहले कभी उस पर झूठ बोलने का आरोप लगा है ? अबू सुफ़ियान ने उत्तर दिया–नहीं। यह सुनकर सम्राट हिरक़्ल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी इन्सान के विषय में झूठ न बोला हो, वह ईश्वर के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है ?

पूर्ण विश्वास

सच्चाई विश्वास का स्रोत है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की सत्यता का एक बड़ा प्रमाण आपका वह अटल विश्वास है, जो आपका अपने दावे पर प्राप्त था। सच बोलने वाला स्थिति का वास्तविक प्रस्तुतिकरण करता है इसलिए वह पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता है, किन्तु झूठा व्यक्ति आत्मविश्वास के अभाव से ग्रस्त होता है, क्योंकि वह वास्तविकता को छिपाता है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) लगातार तेइस वर्षों तक अपने रिसालत के दावे पर क़ायम रहे लेकिन कभी भी आपकी ज़ुबान से या आपके किसी अमल से यह ज़ाहिर नहीं हुआ कि आपको अपने रसूल होने में कोई संदेह है। झूठा व्यक्ति संकल्प और आत्मविश्वास की शक्ति से ख़ाली होता है, वह कठिनाइयों में अपने स्थान पर जम नहीं सकता। परीक्षाएं उसके चेहरे से झूठ का मुखौटा उतार देती हैं। हम देखते हैं कि नाज़ुक से नाज़ुक मौक़े पर भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के इस विश्वास में बाल बराबर भी अन्तर नहीं आता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने रसूल होने की घोषणा की तो उनकी क़ौम, जो उन्हें अमीन कहती थी, आपकी दुश्मन बन गयी। आप (सल्ल॰) के चचा अबू तालिब जो मुसलमान तो नहीं थे, मगर वे आपको संरक्षण दे रहे थे। कुरैश के ज़िम्मेदारों ने समझा कि आप अबू तालिब के दम पर ही दावत की तहरीक (सत्य आमंत्रण आन्दोलन) चला रहे हैं। इसलिए लोगों ने अबू तालिब को धमकी दी कि या तो अपने भतीजे को इस काम से रोकें या हमसे युद्ध करें। इस धमकी से अबू तालिब प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, उन्होंने मुहम्मद (सल्ल॰) को बुला कर कहा कि ''बेटा अपने और मेरे हाल पर रहम करो'', हम पर इतना बोझ न डालो कि उठाया न जा सके।'' यह सुनकर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) समझ गये कि अब उन्हें चचा का समर्थन प्राप्त नहीं रहेगा, किन्तु इसके बावजूद आपके आत्म-विश्वास में कोई कमी नहीं आयी। आपने अपने चचा से कहा, ''यदि मेरे विरोधी मेरे दाहिने हाथ पर सूर्य और बाएं हाथ पर चांद रख दें और चाहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं तो भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। या तो अल्लाह इसे ग़ालिब करेगा या मैं इसी मार्ग में मिट जाऊंगा।''

अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण

अल्लाह से हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का बहुत गहरा ताल्लुक़ था, यह आपके रसूल होने की एक पुष्ट प्रमाण है। जो व्यक्ति अल्लाह का रसूल होगा निश्चित रूप से खुदा के प्रति वह पूर्णतः समर्पित होगा। खुदा से आपका संबंध इतना स्पष्ट था कि जो भी आपके निकट होता उसे महसूस करने लगता। वास्तविकता यह है कि जो भावनाएं इन्सान के भीतर से फूटती हैं, वे उसके पूरे चरित्र पर छा जाती हैं। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के लिए ईश्वर की याद कोई कृत्रिम वस्तु नहीं थी, बल्कि वह उनके भीतर उतरी हुई थी। आपकी रूह इस एहसास से सराबोर थी कि अल्लाह

ही वास्तविक स्वामी और उपास्य है । आपका सर उसी के सामने झुकता, आप उसी को जीवन, मृत्यु और सुख-दुख का मालिक समझते। उसी से दुआएं मांगते और उसी के प्रति आभार प्रकट करते । क्या ईश्वर के प्रति ऐसे समर्पण व ताल्लुक़ को कोई व्यक्ति धोखा कह सकता है ।

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) एक वृक्ष से अपनी तलवार लटका कर उसकी छाया में सो रहे थे । एक व्यक्ति आया और उसने तलवार अपने हाथ में ले ली, फिर आपको जगाया और पूछा बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा ? आपने पूरे इत्मीनान के साथ जवाब दिया, ''अल्लाह'' । यह शब्द सुनते ही उसने तलवार म्यान में रख ली और चुपचाप बैठ गया ।

यह इस बात अकाट्य प्रमाण है कि आप अल्लाह को ही जीवन और मृत्यु का मालिक समझते थे । दुश्मन की नंगी तलवार आपकी आंखों के सामने लहरा रही थी । इसके बावजूद आपने अल्लाह पर अपने भरोसे का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया, जिसका मुक़ाबला नहीं किया जा सकता । इस विश्वास को बनावटी कहना मानव स्वभाव को नकारना है ।

व्यावहारिक नमूना

झूठे व्यक्ति की पहचान यह है कि उसके दावे खोखले होते हैं । वह शब्दों के जादू से दुनिया को धोखा देने की कोशिश करता है । व्यवहार के मामले में वह शून्य होता है । विवेकीजन उसकी बातों से उसके दिल की खोट का पता लगा लेते हैं ।

हम देखते हैं कि मुहम्मद (सल्ल०) के कथन और व्यवहार में पूर्ण समानता है । आप ठीक उसी दिशा में चल रहे थे जिस ओर दुनिया को बुला रहे थे । आपने लोगों से जो कुछ कहा वह सब आपके आचरण में मौजूद था । आपने खुदा का दीन (धर्म) दुनिया के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि स्वयं उसका व्यावहारिक नमूना बन गये । किसी ने आज तक यह कहने का दुस्साहस नहीं किया कि आपके कथन और व्यवहार में अन्तर है ।

मानवता की भलाई

मुहम्मद (सल्ल०) मानवता के बहुत बड़े हितैषी थे । आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी से वादा करके उसे नहीं तोड़ा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की हत्या नहीं की, किसी का माल नहीं खाया । अर्थात आप से किसी भी व्यक्ति को कोई नुक़सान नहीं पहुंचा । मक्का से हिजरत करते समय भी आपने उन लोगों की अमानतें लौटाने की व्यवस्था कर दी, जो आपके ख़ून के प्यासे थे ।

हिजरत के दस वर्ष बाद जब मक्का विजय हुआ तो मुहम्मद (सल्ल०) के सभी शत्रु आपके सामने हाथ बांधे खड़े थे । आप चाहते तो सबसे बदला ले सकते थे, लेकिन आपने सब को माफ़ कर दिया । जिस व्यक्ति ने कभी किसी छोटे से छोटे मामले में भी किसी को धोखा नहीं दिया हो उसके विषय में यह कैसे सोचा जा सकता है कि वह खुदा के विषय में दुनिया में धोखा देगा । यही बात शाह हरक़्ल ने अबू सुफ़ियान से कही थी–

बताओ रसूल होने का दावा करने वाले उस व्यक्ति ने कभी किसी को धोखा दिया है ?

अबू सुफ़ियान ने जवाब दिया, अभी तक तो कोई धोखा नहीं दिया, आगे का हाल हमें नहीं मालूम । यह सुनकर हरक़्ल ने कहा, तुम्हारे जवाब से पता चलता है कि वह वास्तव में अल्लाह का पैग़म्बर है, क्योकि पैग़म्बरों की निशानी यह है कि वे किसी को धोखा नहीं देते ।

मुहम्मद (सल्ल०) को न शोहरत की लालच थी न दौलत की । दुनिया से आपको बहुत लगाव नहीं था । आप अत्यंत सादा जीवन बिताते थे । चरित्र का एक विशेष पहलू यह है कि उसमें ज़बरदस्त प्रभाव था । जो भी आपके सम्पर्क में आता वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । हज़रत बिलाल ने जब यह कहा कि मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं तो मक्का के लड़के उनके पैरों में रस्सी बांध कर गलियों में घसीटने लगे । उमैया बिन ख़लफ़ उन्हें तपती रेत पर लिटा कर सीने पर गर्म पत्थर रख देता कि अगर मुहम्मद का इन्कार नहीं करोगे तो इसी हाल में मर जाओगे । लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुहम्मद (सल्ल०) के पढ़ाये हुए तौहीद के कलिमे से इन्कार नहीं किया ।

हज़रत ख़ब्बाब को अंगारों पर लिटा दिया जाता । शरीर की चर्बी के पिघलने से दहकते हुए अंगारे बुझ जाते मगर जो विश्वास मुहम्मद (सल्ल०) ने उन्हें दिया था वह कम नहीं होता ।

मुहम्मद (सल्ल० को रसूल मानने वालों का ये विश्वास, उनके ये बलिदान उनके सच्चे रसूल होने के प्रमाण हैं ।

KIDS CARE

OH LORD INCREASE MY KNOWLEDGE

KIDS CARE

MONTESSORI & PRIMARY SCHOOL



- Montessori to Class - V
- A Huge Playground for Outdoor Games
- Efficient and Trained Teachers
- Learning through Computers
- Homely Environment
- CCTV Monitored

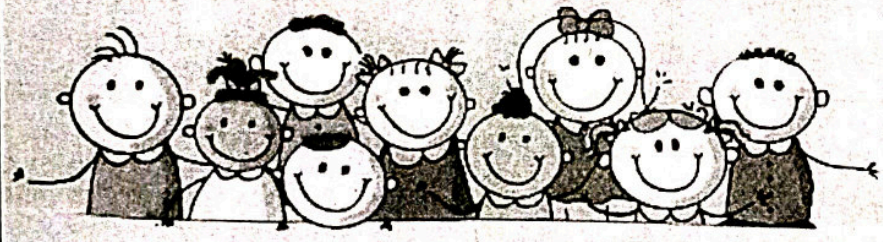

ADMISSION OPEN

A unit of
Al-Falah Educational & Welfare Trust

58, Tiljala Road, Kolkata - 700046

CONTACT : 9874359433 / 9432340275

Website : www.kidscareschool.org

हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०)

◆ तालिब हाशमी

जंगे बद्र में क़ुरैश की अपमानजनक पराजय की सूचना जब मक्का पहुंची, तो वहां घर-घर में कोहराम मच गया। अभागे अबू लहब की हालत तो देखी तक न जाती थी। इस सूचना ने उसे इतना निढाल कर दिया था कि चलते हुए उसके क़दम लड़खड़ाते थे। इसी हालत में वह अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा। हज़रत अब्बास (रज़ि०) भी मुसलमानों से लड़ने गये हुए थे। युद्ध में पराजय के बाद उन्हें बन्दी बना लिया गया था।

अबू लहब उनके घर पहुंचा और उनके गुलाम अबू राफ़े के पास बैठ गया। अबू राफ़े उस समय तीर बनाने में व्यस्त थे। इतने में किसी ने कहा कि अबू सुफ़यान अभी-अभी बद्र से वापस आये हैं, उन्हीं से लड़ाई के हालात मालूम करने चाहिए।

अबू लहब ने उन्हें आवाज़ दिया : "भतीजे, तनिक यहां मेरे पास तो आओ।" जब वे आ गये तो अबू लहब ने पूछा, "भतीजे, कहो वहां क्या गुज़री ?"

अबू सुफ़यान कहने लगे, "अल्लाह की क़सम, मुसलमानों के सामने हमारी बेबसी का यह आलम था जैसा मुर्दा गुस्ल देने वालों के सामने बेबस होता है। उन्होंने जिसको चाहा तलवार पर रख दिया और जिसको चाहा बन्दी बना लिया। एक अजीब दृश्य हमने यह देखा कि अबलक़ घोड़ों पर सवार सफ़ेदपोश आदमियों ने मार-मार कर हमारा भुर्ता बना दिया। मालूम नहीं वे कौन लोग थे ?"

अबू राफ़े (रज़ि०) अनायास ही बोल उठे।

"वे फ़रिश्ते थे।"

यह सुनकर अबू लहब भड़क उठा और अबू राफ़े के मुंह पर ज़ोर से एक तमाचा जड़ दिया। अबू राफ़े भी उनसे लिपट गया। लेकिन वह अबू लहब से कमज़ोर था। इसीलिए अबू लहब ने उन्हें ज़मीन पर दे मारा और बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। वहीं क़रीब में एक महिला बैठी थी। वह सारा दृश्य देख रही थी। जब उसे अबू राफ़े का पिटना देखा न गया तो वह उठ खड़ी हुई। और एक मोटा-सा लठ लेकर इस ज़ोर से अबू लहब को मारा कि उनके सिर से ख़ून का फ़व्वारा छूट पड़ा। फिर कड़क कर बोली : "बेहया ! उसका मालिक यहां मौजूद नहीं है और तू उसे कमज़ोर समझ कर मारता है ?"

अबू लहब को उस महिला से मुंह लगाने का साहस न हो सका और वह वहां से खिसक लिया।

वह बहादुर महिला जिसने अबू लहब जैसे इस्लाम दुश्मन को लहूलुहान कर दिया, हज़रत लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०) थीं।

हज़रत लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०) के पिता का नाम हारिस बिन हज़्न और मां का नाम हिन्द (ख़ोला) बिन्त औफ़ था। वे "उम्मुल फ़ज़्ल" के नाम से भी मशहूर थीं। उनकी शादी आप (सल्ल०) के चचेरे भाई हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई थी। उनकी एक बहन हज़रत मैमूना (रज़ि०) की शादी स्वयं आप (सल्ल०) से हुई थी। इस तरह वे आप (सल्ल०) की साली भी थीं। उनकी एक दूसरी बहन हज़रत असमा (रज़ि०) की शादी हज़रत जाफ़र तय्यार (रज़ि०) से हुई थी और तीसरी बहन की शादी हज़रत हमज़ा (रज़ि०) से हुई थी।

सबसे पहले इस्लाम लाने वालीं महिलाओं में उनका नाम दूसरा था। इनसे पहले सिर्फ़ हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) ने इस्लाम स्वीकार किया था। जब उनके पति हज़रत अब्बास (रज़ि०) ने भी इस्लाम क़ुबूल कर लिया तो वे अपने पति के साथ मदीना चली आयीं।

हज़रत लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०) बहुत ही बहादुर और ग़ैरतमन्द महिला थीं। उन्हें आप (सल्ल०) से अत्यधिक लगाव था। आप (सल्ल०) भी इनका बहुत ख़याल किया करते थे। आप (सल्ल०) अक्सर उनके घर जाया करते थे और यदि दोपहर का समय होता तो वहीं आराम कर लिया करते थे। वे आप (सल्ल०) का मुबारक सिर अपने गोद में ले लिया करतीं और उनमें कंघी किया करतीं।

वे बहुत ही परहेज़गार और इबादतगुज़ार महिला थीं। वे प्रत्येक सोमवार एवं जुमेरात (गुरुवार) को रोज़ा रखा करती

थीं । अल्लामा इब्न अब्दुल बर्र (रह०) ने 'इस्तेआब' में लिखा है कि आप (सल्ल०) कहा करते थे–

"उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि०), मैमूना (रज़ि०), सलमा (रज़ि०) और असमा (रज़ि०)–चारों मोमिना बहनें हैं ।"

एक बार हज़रत लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०) ने स्वप्न में देखा कि आप (सल्ल०) के पाक शरीर का एक हिस्सा उनके घर में है । उन्होंने अपना यह स्वप्न आप (सल्ल०) को कह सुनाया । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"इसका भावार्थ यह मालूम होता है कि अल्लाह तआला मेरी बेटी फ़ातिमा (रज़ि०) को बेटा अता करेगा और तुम उसको अपना दूध पिलाओगी ।"

कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) के यहां हज़रत हुसैन (रज़ि०) पैदा हुए और हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि०) ने उन्हें अपना दूध पिलाया और उनकी कफ़ील बन गयीं । इसलिए आप (सल्ल०) का पूरा ख़ानदान आपको बहुत सम्मान दिया करता था ।

एक दिन हज़रत हुसैन (रज़ि०) को लेकर वे आप (सल्ल०) के पास पहुंचीं । आप (सल्ल०) ने अपने प्यारे नवासे को अपनी गोद में ले लिया और प्यार करने लगे । नन्हें हुसैन ने आप (सल्ल०) की गोद में पेशाब कर दिया । हज़रत फ़ज़्ल ने उन्हें तुरंत आप (सल्ल०) की गोद से ले लिया और झिड़क कर कहा : "अरे नन्हें ! यह तूने क्या किया ? अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की गोद में पेशाब कर दिया ।"

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को यह भी गवारा न हुआ और आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"उम्मुल फ़ज़्ल, तूने मेरे बच्चे को यूं ही झिड़का, जिससे मुझे दुख हुआ ।"

इसके बाद आप (सल्ल०) ने पानी मंगवाकर अपनी पोशाक का वह हिस्सा धो लिया, जहां पेशाब की छीटें पड़ी थीं ।

हज्जतुल विदा के मौक़े पर हज़रत लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०) को आप (सल्ल०) के साथ हज करने का अवसर मिला । सही बुख़ारी में है कि अरफ़ा के दिन कुछ लोगों का विचार था कि आप (सल्ल०) रोज़ा से हैं । जब इन्हें इसका पता चला तो एक कटोरा दूध का आप (सल्ल०) की सेवा में पेश किया । आप (सल्ल०) ने दूध पी लिया, इससे लोगों का सन्देह दूर हो गया । हज़रत उस्मान (रज़ि०) के ख़िलाफ़त के दौर में अपने पति के ज़िन्दगी में ही वफ़ात पायी । जनाज़े की नमाज़ हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने पढ़ाई ।

आपको सात औलादें हुईं । 6 बेटे–फ़ज़्ल, अब्दुल्लाह, उबैदुल्लाह, मआबद, क़सम, अब्दुर्रहमान और एक बेटी उम्मे हबीबा । ये सातों बहुत ही प्रतिभाशाली थे । विशेषकर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि०) और हज़रत उबैदुल्लाह (रज़ि०) ने इल्म के मैदान में इतना ऊंचा मुक़ाम हासिल किया कि असातीने उम्मत (उम्मत के कर्णधारों) में शामिल किये गये । हज़रत लुबाबतुल कुबरा (रज़ि०) से 30 हदीसें भी रिवायत की जाती हैं । इनके रावियों में हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि०) और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) जैसे जलीलुलक़द्र सहाबी शामिल हैं ।

दारुल मुसन्निफ़ीन का हिन्दी प्रकाशन

1.	अरब और हिन्द के ताल्लुक़ात	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	200/-
2.	अल-फ़ारूक़	–अल्लामा शिब्ली नोमानी	450/-
3.	रहमत-ए-आलम	–सैयद सुलैमान नदवी	60/-
4.	उत्तम आदर्श	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	125/-
5.	मुहम्मद शिब्ली नोमानी	–डॉ० बाबर अशफ़ाक़ ख़ान	80/-
6.	हज़रत आयशा (रज़ि०) की जीवनी	–मौलाना सुलैमान नदवी	230/-
7.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-1	–सैयद सबाहुद्दीन	125/-
8.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-2	–सैयद सबाहुद्दीन	180/-
9.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-3	–सैयद सबाहुद्दीन	225/-

पता : दारुल मुसन्निफ़ीन शिब्ली एकेडमी, आज़मगढ़ (यू०पी०) 276008

Cont. : Fakharul Islam Sb., Mob. : 9935233940

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

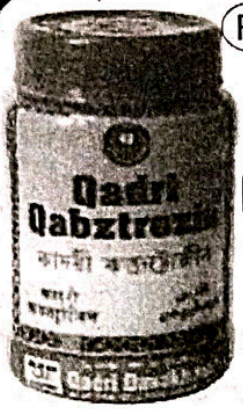

گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

دافع

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن
اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گٹھیا کے
درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔
گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی
مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام،
سرعت انزال، ضعف باہ
اور جملہ امراض مردانہ
میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔
پیشاب کی زیادتی اور
ذیابطیش سے ہونے والی
کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539
www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

परदे का औचित्य

■ संपादन प्रभाग

पर्दे के विरोध का आधार कितना कमज़ोर है इसकी सत्यता को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज पूरे संसार में इस्लाम को स्वीकार करने वाले लागों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है । वहीं महिलाएं जिन्हें पर्दे से भयभीत होकर इस्लाम से दूर भागना चाहिए था, वही आज पर्दा धारण करके अपने आपको सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं ।

इस्लाम में पर्दे की प्रथा का विरोध इस समय बहुत से देशों में हो रहा है । कई देशों ने तो पर्दे और स्कार्फ़ पर प्रतिबंध भी लगा दिया है । मुस्लिम महिलाओं को पर्दे के कारण बहुत से अवसरों पर भेदभाव का सामना भी करना पड़ रहा है । हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चर्चा तो बहुत है और हर कोई इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपना मन-पसन्द जीवन व्यतीत कर रहा है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क़ानून मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होता ।

इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सहारा लेकर दूसरी महिलाओं को अपने मनमाने वस्त्र धारण करने की पूरी आज़ादी है । सच तो यह है कि उन्हें वस्त्र धारण करके अपने अंगों की नुमाइश (अंग-प्रदर्शन) करें तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती । उल्टे इसका विरोध करने वालों की ज़बान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धौंस देकर बन्द कर दी जाती है । वही लोग जो पर्दे का विरोध करते हैं, फ़ैशन परेडों में अर्धनग्न युवतियों के शरीर के एक-एक अंग को लालसा भरी दृष्टि से देखते नहीं थकते ।

ये भी अपनी जगह सत्य है कि धर्म और आस्था के आधार पर ईसाई ननों को स्कार्फ़ लगाने और अपना पूरा शरीर ढकने की अनुमति तो है, परन्तु इसी आधार पर मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार देने को कोई तैयार नहीं है । एक स्त्री अगर पुरुष का वस्त्र धारण कर ले तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, परन्तु वही स्त्री अगर पर्दा या स्कार्फ़ लगा ले तो उस पर आक्षेपों की बौछार होने लगती है ।

अख़बारों में, पत्रिकाओं में, फिल्मों में, टी॰वी॰ और इंटरनेट पर इस समय पूरी तरह से यौन अराजकता का बोलबाला है, इस पर किसी कोई कोई आपत्ति नहीं होती । हर तरफ़ युवक-युवतियों की कामुकता की भावना को प्रज्वलित करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती । हर तरफ़ अभद्र और अश्लील विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है, परन्तु इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती । परन्तु अगर एक मुस्लिम महिला अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए और अपने आपको पुरुषों को भूखी निगाहों से बचाने के लिए सभ्य और शालीन वस्त्र धारण कर लेती है तो पूरा समाज उसके विरोध में उठ खड़ा होता है ।

समाज का चाहे आम नागरिक हो या बुद्धिजीवी वर्ग, पता नहीं किन अज्ञात कारणों से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हर तरफ़ तेज़ी से फैलती हुई यौन अराजकता और बलात्कार का संबंध भड़कीले वस्त्रों से भी है और इनका संबंध हर तरफ़ फैले हुए उत्तेजित करने वाले विज्ञापनों से भी है और उन फिल्मों से भी है जो अश्लीलता और कामुकता को भड़काने में लगी हुई हैं । महिलाओं के साथ प्रताड़ना और बलात्कार की घटनाए दिना ब दिन बढ़ती जा रही हैं ।

कोई भी सभ्य और शालीन समाज इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता । इसके परिणाम बड़े ही भयावह होंगे । यह बात समझना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि मात्र पुलिस और क़ानून के भय से इस स्थिति पर क़ाबू नहीं पाया जा सकता ।

नारीत्व की सुरक्षा

"ईश्वर की कृपा से अब मैं मुस्लिम हूं। मैं हिजाब (पर्दा) को एक मुकुट के रूप में धारण करती हूं। इससे जहां एक और मुझे शक्ति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इस्लाम के बारे में सही जानकारी प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त होता है।"

–मरीटा रेहाना, आस्ट्रेलिया

इस्लाम ने, जो कि ईश्वर द्वारा रचित एक संपूर्ण जीवन-शैली का नाम है, इस भयावह स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही इसे रोकने के कई उपाय किए हैं और इन्हें आस्था से जोड़ दिया है। यही कारण है कि मुस्लिम समाज में यौन अराजकता और बलात्कार का अनुपात बहुत कम है। पर्दा इन्हीं उपायों में से एक है। इन समस्त उपायों का सारांश निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है–

(1) पुरुष और स्त्री के कार्य क्षेत्र का निर्धारण, पुरुष का कार्यक्षेत्र जीविका का उपार्जन और स्त्री का कार्यक्षेत्र उसका घर।

(2) पुरुष और स्त्री के अनावश्यक और स्वतंत्र मेल-मिलाप पर प्रतिबंध।

(3) महरम और ग़ैर-महरम रिश्तों का निर्धारण। (महरम उसे कहते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता। ग़ैर-महरम वो लोग होते हैं जिनमें आपस में विवाह हो सकता है।)

(4) पुरुषों को आदेश दिया गया कि वह स्त्रियों को न तो अनावश्यक देखें न ही उनसे मिलें।

(5) स्त्रियों को भी आदेश दिया गया कि वह पुरुषों को न तो अनावश्यक देखें न उनसे मिलें। अगर मिलना आवश्यक हो तो पर्दे में रहते हुए मिलें।

(6) स्त्रियों को आदेश दिया गया कि जब वह घर से बाहर निकलें तो पर्दा धारण करके निकलें।

(7) पुरुष और स्त्री दोनों को आदेश दिया गया कि वह ग़ैर-महरम लोगों से एकांत में कदापि न मिलें।

(8) महरम संबंधियों के सामने शरीर ढकने या खुले रखने की सीमाओं का निर्धारण किया गया।

(9) स्त्री अपना सौंदर्य किन-किन लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकती है इसकी सीमा का निर्धारण किया गया।

उपर्युक्त उपायों पर अगर थोड़ा-सा चिंतन-मनन कर लिया जाए तो यह बात सरलता से समझ में आ जाएगी कि इन उपायों को व्यवहार में लाकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात् पर्दा स्त्री दासता का नहीं, उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का बोधक है। इस प्रकार के विचार समाज के कई बुद्धिजीवी लोगों के भी हैं और वह समय-समय पर इसे व्यक्त भी करते रहते हैं :

(1) आंध्र प्रदेश के डी॰जी॰पी॰ श्री दिनेश रेड्डी ने अभी कुछ समय पहले ये विचार व्यक्त किया कि तेज़ी से बढ़ते हुए बलात्कार की घटनाओं के लिए महिलाओं के उत्तेजित और भड़काऊ वस्त्र एक बड़ा कारण है।

(2) सन् 2005 में मुंबई विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री विजय खोले ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि "लड़कियों का कम और भड़काऊ कपड़े पहनना बलात्कार का मुख्य कारण है।"

(3) दिसम्बंर 2011 में मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज ने घोषणा की कि जींस एक उत्तेजक वस्त्र है और लड़कियों को इस नहीं पहनना चाहिए।

समाज में जो लोग पर्दे का विरोध करते हैं उन्हें चार भागों में विभाजित किया जा सकता है :

(1) वह लोग जिनके समक्ष इस्लाम की जीवन-व्यवस्था और उसकी आस्था अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है।

(2) वह लोग जिनकी मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई हे

कि स्त्री के शरीर को निहारे बग़ैर उनकी प्यास ही नहीं बुझती ।

(3) वह महिलाएं जो यह समझती हैं कि उनका सौंदर्य नुमाइश के लिए है और उन्हें इसके प्रदर्शन का पूर्ण अधिकार है ।

(4) वह लोग जो पर्दे का विरोध मात्र इसलिए करते हैं कि, इस्लाम के हर क़ानून का विरोध करना है, चाहे वह क़ानून समाज के लिए कितना ही लाभदायक क्यों न हो ।

इन सभी लोगों से निवेदन है कि विरोध करने से पूर्व यह इस्लाम की संपूर्ण जीवन-व्यवस्था, विशेष रूप से पर्दे के क़ानून का एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन अवश्य कर लें ।

पर्दे के विरोध का आधार कितना कमज़ोर है इसकी सत्यता को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज पूरे संसार में इस्लाम को स्वीकार करने वाले लागों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है । वहीं महिलाएं जिन्हें पर्दे से भयभीत होकर इस्लाम से दूर भागना चाहिए था, वही आज पर्दा धारण करके अपने आपको सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं ।

इनमें से कुछ महिलाओं की अनुभूति प्रस्तुत है:

(1) "जिन सड़कों पर मैं शॉर्ट और बिकनी पहनकर घूमा करती थी, उन्हीं रास्तों पर जब मैं पहली बार इस्लामी वस्त्र धारण करके निकली तो दुकानें भी वही थीं, लोग भी वही थे, पर मैं यह अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई हूं और सारी जंज़ीरें टूट गई हैं । हिजाब (पर्दा) धारण करने के बाद मैंने अनुभव किया कि जैसे मेरे कंधों से एक भार उतर गया हो । अब मैं अपना सारा समय शॉपिंग में या मेकअप करने में या अपने बालों को संवारने में नहीं लगाती । अब मैं अपने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करती हूं ।" –सारा बोक्कर, मियामी, अमेरिका

(2) "ईश्वर की कृपा से अब मैं मुस्लिम हूं । मैं हिजाब (पर्दा) को एक मुकुट के रूप में धारण करती हूं । इससे जहां एक और मुझे शक्ति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इस्लाम के बारे में सही जानकारी प्रदान करने का अवसर भी प्राप्त होता है ।" –मरीटा रेहाना, आस्ट्रेलिया

(3) "ये बिल्कुल ग़लत धारणा है कि मुस्लिम महिलाएं अपने पति के दबाव के कारण पर्दा धारण करती हैं । सत्य तो यह है कि इससे उसकी मर्यादा की रक्षा होती है और वह दूसरों के कंट्रोल से अपने आपको बचा लेती है । दया योग्य हैं वे ग़ैर-मुस्लिम महिलाएं जो अपने शरीर की नुमाइश करती फिरती हैं ।" –नकाता ख़ौला, जापान

(4) "जब मैंने पहली बार हिजाब (पर्दा) धारण किया तो मुझे प्रसन्नता के साथ संतोष का भी अनुभव हुआ । अब मैं अपने आपको सुरक्षित महसूस करती हूं और लोग पहले से अधिक मेरा आदर करते हैं ।" –सिस्टर नूर, भारत

(5) "इस्लाम की परदा-व्यवस्था, जो नारी गरिमा को बढ़ाती और उसके शील व नारीत्व की सुरक्षा करती है, से अति प्रभावित हो कर मैंने इस्लाम कुबूल कर लिया है । नक़ाब अब मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है ।"

–कमला सुरैया, तमिलनाडु

कविता

नियति

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता
इसलिए भाड़ में जाओ
फिर उनकी जीभ ललचाई
उन्होंने मुंह में रखकर चबाया
और मन ही मन बोले चना जोर गरम होता
तो मज़ा आ जाता
चना था चब गया ग़रीब था दब गया
क्यों साहब यही है आपका तंत्र
वे हंसे बोले कभी-कभी बिना लाभ के भी
यूं ही आदतन कर देते हैं हत्या
अन्यथा हत्या से क्या फ़ायदा ?
हम तो सामूहिक नरसंहार में विश्वास रखते हैं
एक की हत्या, हत्या
और सामूहिक हत्याएं मात्र दंगा
लूटपाट में स्त्रियां, धन और राजपाठ
चना कैसे कर सकता है मना
उसे तो हरहाल में भाड़ में ही जाना है ।

देवेन्द्र कुमार मिश्रा
पाटनी कालोनी, भरत नगर, चन्दनगांव
छिन्दवाड़ा (म०प्र०)

स्त्री और पुरुष में समानता

■ बुशरा सादिक़ा

स्त्री और पुरुष की समानता का मामला अपनी वस्तुस्थिति की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि इसको समस्त सामाजिक समस्याओं की बुनियाद ठहराया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि घरेलू जीवन की सारी खुशियां इस पर आधारित हैं । मात्र इन्सानों का बनना और बिगड़ना ही नहीं, बल्कि हुकूमतों का कमज़ोर और स्थायी होना भी इसी पर निर्भर है । सामूहिक जीवन में स्त्री और पुरुष का संबंध वास्तव में सभ्यता की आधारशिला है । कहा भी गया है कि सभ्यता के भवन की इस आधारशिला में यदि एक ईंट भी टेढ़ी रखी गयी तो पूरा भवन ही टेढ़ा हो जाएगा ।

एक ओर इस मामले की यह महत्ता है और दूसरी ओर इसकी जटिलताएं इतनी बढ़ी हुई हैं कि जब तक मानव-प्रकृति की समस्त वास्तविकताओं और तथ्यों पर किसी की नज़र पूरी तरह फैली हुई न हो, वह उसको हल नहीं कर सकता। जिसने भी कहा था, सच कहा था कि इन्सान एक छोटी दुनिया है । उसकी शारीरिक संरचना, उसके शरीर के अन्दर की बनावट, उसकी शक्तियां और योग्यताएं, उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, भावनाएं एवं अनुभूतियां (एहसासात) और अपने अस्तित्व से बाहर की बहुत-सी चीज़ों के साथ उसके व्यावहारिक और भावनात्मक संबंध, ये सारी चीज़ें एक दुनिया अपने अन्दर रखती हैं । इन्सान को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक कि उस दुनिया का एक-एक गोशा निगाहों के सामने स्पष्ट न हो जाए और मानव जीवन की इस बुनियादी समस्या का भी निवारण नहीं हो सकता जब तक इस इन्सान को पूरी तरह समझ न लिया जाए ।

इन्सानी उलूम (मानव-ज्ञान) में से कोई ज्ञान भी ऐसा नहीं है, जो कमाल की अंतिम सीमा तक पहुंच चुका हो, अर्थात जिसके संबंध में यह दावा किया जा सकता हो कि जितनी वास्तविकताएं ज्ञान के इस विभाग से संबंध रखती हैं उन सब पर उसने कमाल और महारत (निपुणता) हासिल कर ली है । अब तक जो तथ्य सामने आ चुके हैं उनकी व्यापकताओं की बारीकियों की भी यह स्थिति है कि इन्सान की नज़र इन सब पर एक ही समय में नहीं पड़ सकती । एक पहलू सामने आता है तो दूसरा पहलू नज़र से ओझल हो जाता है । कहीं नज़र चूक जाती है और कहीं व्यक्तिगत रुझान रुकावट बन जाते हैं ।

इस दोहरी कमज़ोरी के कारण इन्सान खुद अपनी ज़िन्दगी के उन मसलों को हल करने के जितने भी उपाय करता है वे नाकाम होते हैं और अनुभव अंततः उन उपायों की कमियों को उजागर कर देता है । सही हल उसी समय संभव है, जबकि न्याय-बिन्दु को पा लिया जाए और न्याय-बिन्दु पाया नहीं जा सकता जब तक कि सारी वास्तविकताएं और उनके सभी पहलुओं पर बराबर नज़र न हो । यह नज़र किसी इन्सान की नहीं बल्कि इन्सान को पैदा करने वाले ईश्वर ही की हो सकती है, जिसने वास्तव में स्त्री और पुरुष के अधिकारों में अंतिम सीमा तक संतुलन स्थापित किया और एक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करके इन्सान को दी है । यह इस्लाम ही है जो मानवाधिकार का ध्वजावाहक है और उसके साथ-साथ इन्सान को न्याय-बिन्दु का मार्ग दिखाता है । अथवा वह इस बात का प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति अधिकारों से वंचित न रहे और दूसरा व्यक्ति अपने अधिकारों में सीमा का उल्लंघन भी न करे ।

मानव-जीवन के विभिन्न पहलू

किसी व्यवस्था को चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि उस व्यवस्था के विभिन्न पुर्ज़ों को उचित स्थान पर रखा जाए । ईश्वर ने दुनिया की व्यवस्था चलाने के लिए स्वयं उनकी भूमिका का स्थान निश्चित कर दिया है, ताकि उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो । विश्व की व्यवस्था को विश्व के स्रष्टा ने बनाया ही इस सिद्धांत और उसूल पर है कि उससे सारे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहने के लिए विवश हैं । इनमें से हरेक किसी पहलू से अपूर्ण और किसी पहलू से पूर्ण है । हरेक किसी पहलू से वांछित और किसी पहलू से इच्छुक भी है, और आपसी सहयोग से ये अपनी-अपनी कमियों को पूरा करते

हुए जीवन-उद्देश्य को पाने की कोशिश करते हैं । पृथ्वी और आकाश, रात व दिन, गर्मी व सर्दी, जल-थल इन सबमें इसी तरह का संबंध है । इनमें से बजाए खुद न कोई दूसरे से निस्पृह है और न इनमें से किसी को यह दावा करने का अधिकार है कि इस विश्व व्यवस्था में जो स्थान उसका है किसी दूसरे का नहीं, या जो उद्देश्य उसके माध्यम से पूरा हो रहा है वह किसी श्रेणी में या किसी प्रकार से उस उद्देश्य से बुलन्द है जो दूसरे के माध्यम से पूरा हो रहा है ।

ग़ौर कीजिए कि इस एतिबार से तमाम विभिन्न भागों में जो असाधारण समानता है क्या कोई व्यक्ति इस समानता का इन्कार करने की हिम्मत कर सकता है ? लेकिन इस समानता के बावजूद कभी आपने देखा कि मात्र इस अहं के आधार पर कि हम आपस में बिल्कुल बराबर हैं ज़मीन-आसमान से जा टकराई हो, चांद ने सूरज के कक्ष में घूमना प्रारंभ कर दिया हो, रात ने दिन की सीमाओं में हस्तक्षेप किया हो, सर्दी ने गर्मी का रूप धारण कर लिया हो और समन्दर ने ज़मीन पर चढ़ाई कर दी हो । अगर खुदा-न-ख़ास्ता ऐसा हो जाए और एक-दो दिन के लिए नहीं मात्र कुछ क्षणों के लिए ही हो जाए, तो यह सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न होकर रह जाएगी । ठीक इसी सिद्धांत और उसूल पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं । ज़िन्दगी की भाग-दौड़ और उतार-चढ़ाव में सदैव स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के मददगार और सहयोगी रहे हैं । ज़िन्दगी के भार को दोनों ने मिलकर संभाला है । सभ्यता का विकास दोनों के संयोग से हुआ है । दोनों सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता हैं । मानव-जीवन के उद्देश्य की ज़िम्मेदारी दोनों पर समान रूप से आती है । जीवन स्त्री और पुरुष दोनों ही का मुहताज है । जिस तरह पुरुष अपना जीवन-उद्देश्य रखता है, उसी प्रकार स्त्री के जन्म का भी एक उद्देश्य है, और ईश्वर इन दोनों प्रकार के अस्तित्व के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है ।

स्त्री और पुरुष के अपने-अपने कार्य-क्षेत्र

स्त्री और पुरुष यद्यपि ज़िन्दगी की गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है । इस फ़र्क़ की मस्लहत और उद्देश्य दोनों को एक ही प्रकार के दो व्यक्तित्व बनाने के बावजूद विभिन्न प्रकार की भूमिका प्रदान करने में निहित है । एक के अस्तित्व को इन्सानों की पैदाइश में वृद्धि करने के लिए विशेष क्षमता दी गयी है, और दूसरे के अस्तित्व को शारीरिक मेहनत, परिश्रम और सामाजिक दौड़-धूप के लिए विशेष प्रकार की बनावट दी गयी है । ईश्वर के इस विशेष तरीक़े को न हम नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, न हम बदल सकते हैं और न व्यर्थ ठहराकर ज़िन्दगी के कारख़ाने में कार्य-निर्धारण के उसूल और सिद्धांत की उपेक्षा कर सकते हैं । स्त्री और पुरुष के लिए अलग प्रकार के शरीर की संरचना और उनके स्वभाव में अलग प्रकार के रुझान ईश्वर की रचना के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं । इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर ने दोनों के लिए अलग-अलग कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है । इस भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र के निर्धारण की उपेक्षा करके हम ईश्वर के प्रबंधन के विरुद्ध दूसरे रास्ते अपनाएंगे तो अवश्य ही किसी पर काम का बोझ बढ़ जाएगा और किसी पर कम हो जाएगा । अतः मानवजाति की भलाई और सफलता का रहस्य इसमें निहित है कि दोनों बिना किसी टकराव और बिगाड़ के अपनी-अपनी योग्यता और क्षमता पर संतुष्ट रहें अन्यथा टकराव की स्थिति दुनिया को नष्ट करके रख देगी और इस ग़ैर-फ़ितरी (अप्राकृतिक) कार्य-निर्धारण से बहुत-सी सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताएं पैदा होंगी ।

इस्लाम स्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा देने के बावजूद उनकी वास्तविक और स्वाभाविक योग्यताओं की दृष्टि से सामूहिक व्यवस्था में उनको अलग-अलग स्थान देता है और उनमें से हरेक को उस स्थान पर रखता है, जिस स्थान पर वे बेहतर तरीक़े से समाज को अपनी योग्यताओं से फ़ायदा पहुंचा सकें । स्त्री और पुरुष के जन्म के साथ ईश्वर ने जो ज़िम्मेदारियां (फ़र्ज़) दी हैं उनमें से प्रत्येक ज़िम्मेदारी बजाए खुद उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही ज़रूरी है, जितनी कि दूसरी ज़िम्मेदारी । यह नहीं कह सकते कि घर का काम संभालना कम महत्वपूर्ण है और आफ़िस का अधिक महत्वपूर्ण है, या बच्चों का पालन-पोषण एक मामूली कार्य है और नौकरी या व्यापार एक महत्वपूर्ण कार्य है । सामूहिक एवं सामाजिक व्यवस्था की हिफ़ाज़त और सुरक्षा के जितने भी कार्य हैं सब बराबर और ज़रूरी हैं । समाज का जो पुर्ज़ा इन कार्यों में से जिस कार्य को करने के लिए भी बना है, अगर वह ठीक-ठीक उसे पूरा कर रहा है तो पूरी मशीन के अन्दर उसका महत्व और मूल्य किसी बड़े से बड़े पुर्ज़े के बराबर है और उसको तुच्छ और मामूली

समझ कर नज़रअंदाज़ करने की कोई वजह नहीं है ।

स्त्री और पुरुष के अधिकारों में समानता का अर्थ

आइए देखें कि अधिकार किसे कहते हैं ? और अधिकारों में समानता का क्या अर्थ है ? एक पश्चिमी विचारक ''गालसस'' अधिकार की परिभाषा इन शब्दों में व्यक्त करता है, ''मानव अधिकार या मौलिक अधिकार आधुनिक नाम है उन अधिकारों का जिन्हें पारंपरिक रूप से स्वाभाविक अधिकार कहा जाता है । उनको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वे नैतिक अधिकार जो हरेक इन्सान को हर जगह और हर समय इस आधार पर प्राप्त होते हैं कि वह दूसरे समस्त प्राणियों और जीवधारियों की अपेक्षा इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि वह विवेकशील और सदाचारी है । न्याय और इन्साफ़ को बुरी तरह कुचले बिना कोई व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता ।''

मानो अधिकार वह चीज़ है जिसे हासिल करने का कोई भी व्यक्ति क़ानूनी अधिकार रखता हो । अर्थात जो कुछ प्राप्त हो वह अधिकार है और जो कुछ अदा करना पड़े वह कर्तव्य है । इससे इतर कि कोई स्त्री है या पुरुष, हर इन्सान को जान व माल की सुरक्षा, मान एवं सम्मान की सुरक्षा, निजी जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा, राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अत्याचार के विरुद्ध विरोध प्रकट करने का अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, गुनाहों से बचाव का अधिकार, संगठन, सम्मेलन तथा राजनीतिक जीवन में सम्मिलित होने का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिएं । अधिकारों में समानता यह है कि ये समस्त अधिकार स्त्री और पुरुष को मिलते रहें । इन अधिकारों के हनन की दशा में आवाज़ उठाई जा सके और उसे इन्साफ़ और न्याय के साथ सुना जा सके ।

स्त्री और पुरुष के अधिकारों में इस्लाम की प्रदान की हुई समानताओं को देखने से पहले इस बुनियादी प्रश्न पर ग़ौर कीजिए कि उपरोक्त अधिकार किसने निर्धारित किये हैं ? उनकी क़ानूनी और नैतिक हैसियत और उनका औचित्य क्या है ? क्या इन्सान अपने किसी व्यक्तिगत अधिकार की बिना पर उन अधिकारों का पात्र बना है या अपने किसी दावे, किसी संघर्ष या अपनी स्वीकृत मांगों की वजह से उसे ये अधिकार प्राप्त हुए हैं ? मानवाधिकार किसी सामाजिक संधि से, हुकूमत और जनता के बीच होने वाली किसी संधि से, मानव-रचित किसी संविधान से या इन्सान और इन्सान के बीच होने वाले किसी समझौते से निश्चित होते हैं । वास्तविकता यह है कि मानवाधिकार की बुनियाद मात्र ईश्वरीय आदेश है । उसने हर इन्सान के अधिकारों का निर्धारण किया है और उनके बीच प्राथमिकताएं निश्चित की हैं ।

अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने हज के अवसर पर जो भाषण दिया था वह 'मानवाधिकार का घोषणा पत्र' की हैसियत रखता है । इस घोषणा पत्र और कुरआनी आदेश को सामने रखिए तो अवश्य ही आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि यह मात्र इस्लाम ही है, जो मानवाधिकार का ध्वजावाहक है । वास्तव में स्त्री का सम्मान और उसके अधिकार की कल्पना इस्लाम की प्रदान की हुई है । आज स्त्रियों के अधिकार और समानता के जो नारे आप सुन रहे हैं यह सब उसी क्रान्तिकारी आवाज़ की गूंज है जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ज़बान से बुलन्द हुई थी और जिसने इन्सानी सोच की दिशा को सदैव के लिए बदल दिया ।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिसने अधिकार की कल्पना दी उसी ने सबसे बढ़कर और बेहतरीन अधिकार भी दिए, बल्कि सच तो यह है कि अधिकार उसी ने ही प्रदान किये हैं ।

समानता का ग़लत अर्थ

समानता और बराबरी का एक अर्थ यह लिया जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान पैदा हुए हैं । इसीलिए राष्ट्रीय व्यवस्था में दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए या यह कि ईश्वर ने जिन शक्तियों और योग्यताओं से पुरुष को लैस किया है और पुरुष जो कुछ भी कर सकता है स्त्री भी वह सब कुछ कर सकती है । अत: पुरुष और स्त्री का कार्यक्षेत्र एक होना चाहिए । मानो कि जब तक स्त्री वह कार्य न करे जो पुरुष कर रहे हैं, उस समय तक समानता और बराबरी की शर्तें पूरी नहीं होतीं, हालांकि यह बराबरी और समानता वास्तव में अधिकारों में नहीं बल्कि कर्तव्यों में समानता है, और समानता की यह ऐसी कल्पना है जो खुद मर्दों में भी मौजूद नहीं । ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों में बढ़ोत्तरी पर विवश करने वाली स्त्रियां इस भ्रम में हैं कि वे अपना अधिकार मांग रही हैं ।

''अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान न रखते हों ऐसे इन्कार करने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है । आसमानों और ज़मीन के राज का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे सज़ा दे, और वह बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है ।''

(क़ुरआन, 48:13-14)

A Well Wisher

MUMBAI

कैसे पूरे होंगे बजट के बड़े वादे ?

■ भारत डोगरा

1 फ़रवरी को वित्त मंत्री ने एन॰डी॰ए॰ सरकार के जिस अंतिम बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया, उसमें ऐसी अनेक घोषणाएं हैं जो स्वागत योग्य हैं । तपेदिक के मरीज़ों के लिए पोषण का सहयोग, किसानों व उपभोक्ताओं को एक दूसरे के नज़दीक लाने के प्रयास व बांस के क्षेत्र में नयी पहल ऐसे प्रयास हैं जिनसे बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की उम्मीदें बंधी हैं व सभी चाहेंगे कि यह उम्मीदें पूरी हों । पर इसके साथ सरकार की ओर से बजट भाषण में कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं भी की गयी हैं जिनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कैसे पूरा किया जा सकेगा । इनके लिए जितने संसाधनों की ज़रूरत है, वैसे व उतने संसाधन उपलब्ध होने की कोई संभावना बजट में नज़र नहीं आ रही है ।

बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के बारे में बताया गया है जिसके दायरे में 10 करोड़ से अधिक परिवार या पचास करोड़ से अधिक निर्धन व कमज़ोर स्थिति के लोग आएंगे व जिन्हें 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का अस्पताल इलाज की कवरेज उपलब्ध करवाई जाएगी । इसे बजट भाषण में सरकारी ख़र्च से चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम बताया गया है । निश्चय ही यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है पर सवाल यह है कि इसके लिए ज़रूरी इतने ही विशाल संसाधन कहां से उपलब्ध होंगे । बजट भाषण में ही कहा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2018-19 में 1.38 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष के बजट में 1.22 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गये थे ।

इस तरह लाख 15000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है । महंगाई के असर को हटाकर देखा जाए तो यह लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि बहुत मामूली सी वृद्धि की गयी है । शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा का बजट पहले जितना ही बना रहा है, तो फिर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे ?

इसी तरह किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में

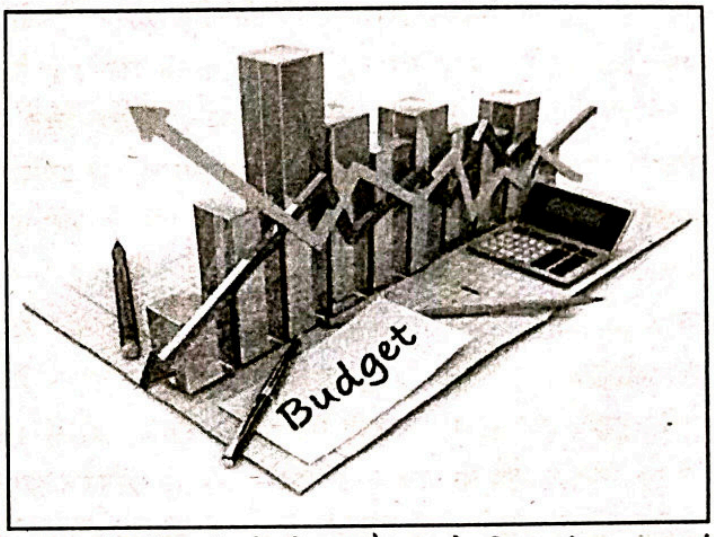

महत्वपूर्ण वृद्धि की जो घोषणा है, उसके लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे यह बजट में स्पष्ट नहीं है । यदि चर्चित महत्वपूर्ण वृद्धि होती है तो यह खाद्य सब्सीडी में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में नज़र आनी चाहिए अथवा कृषि मंत्रालय के आवंटन या एलोकेशन में इतनी ही महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में नज़र आनी चाहिए, पर ऐसी स्थिति नहीं है ।

ग्रामीण आजीविका व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के संदर्भ में कहा गया है कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख करोड़ रुपये ख़र्च किये जाएंगे जिसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये बजट-अतिरिक्त व ग़ैर-बजट संसाधनों से उपलब्ध होंगे पर

"धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी-बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं, जो उठते-बैठते और लेटते, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच-विचार करते हैं ।"
(क़ुरआन, 3:190, 191)

A Well Wisher
MARGOA (GOA)

यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इतनी बड़ी मात्रा के ग़ैर-बजट स्रोत कौन से हैं व इनकी उपलब्धि कितनी सुनिश्चित है ।

ज़रूरी बात है कि यदि कुछ बड़े वादे घोषित किये जाते हैं तो उनके अनुकूल ही धनराशि बजट में उपलब्ध होनी चाहिए पर यह स्थिति इस बार के केन्द्रीय बजट में नज़र नहीं आ रही है । यहां पर ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि इस वर्ष का बजट ऐसी स्थितियों में प्रस्तुत किया गया है जिनमें संसाधनों की उपलब्धि किसी सामान्य वर्ष से अधिक अनिश्चित प्रतीत हो रही है । यह काफ़ी हद तक जी॰एस॰टी॰ (माल व सेवा कर) की उपलब्धि से जुड़ा हुआ मुद्दा है व कुछ हद तक अन्य कारकों से । संसाधन उपलब्धि के संदर्भ में इस संबंध में नवंबर 2017 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं । रेवेन्यू प्राप्ति के अंतर्गत बताया गया है कि नवंबर 2016-17 में पूरे वित्तीय वर्ष के अनुमानित रेवेन्यू का 58 प्रतिशत प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल रेवेन्यू का नवंबर 2017 तक 53 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सका था ।

दूसरी ओर जहां तक राजकोषीय या फिस्कल घाटे का सवाल है, तो वर्ष 2016 में नवंबर तक कुल वर्ष के अनुमानित राजकोषीय घाटे के 86 प्रतिशत तक पहुंचे थे, जबकि वर्ष 2017 में नवंबर तक पूरे वर्ष के अनुमानित घाटे को पार कर 112 प्रतिशत तक पंहुच गये थे । वर्ष 2017-18 का पूरे वर्ष का अनुमानित राजकोषीय घाटा 5,46,532 करोड़ रुपये था, जबकि नवंबर में ही यह 6,12,105 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था ।

जहां तक समग्रीकृत या इंटीग्रेटिड जी॰एस॰टी॰ का सवाल है तो यह उपलब्धि अगस्त में 70,918 करोड़ रुपये थी, सितंबर में 30,395 करोड़ रुपये थी, अक्तूबर में 18,370 करोड़ रुपये थी व नवंबर में 18,627 करोड़ रुपये थी । हाल के समय में जी॰एस॰टी॰ का रिफंड समय पर न होने संबंधी बढ़ती चिंताओं के समाचार भी मिले हैं । अत: संसाधन उपलब्धि के बढ़ते अनिश्चय के बीच जब बहुत बड़ी व ख़र्चीली योजनाओं के बारे में लोगों ने बजट भाषण में सुना तो उनके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही था कि आख़िर इनके लिए ज़रूरी आर्थिक संसाधन कहां से उपलब्ध होंगे । ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि सभी ज़रूरतमंद लोगों को अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल सके, पर इसके बारे में विश्वास तभी बढ़ेगा जब इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धि भी नज़र आए ।

बजट में यह भी बताया गया है कि देश में डेढ़ लाख आरोग्य केन्द्र स्थापित किये जाएंगे, पर इसके लिए बजट में मात्र 1200 करोड़ रुपये का ही प्रावधान है । इतनी कम धनराशि में इतना बड़ा कार्य कैसे हो सकेगा, यह समझना कठिन है । ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और स्पष्ट व विस्तृत जानकारी शीघ्र ही उपलब्ध होनी चाहिए । (विविधा फ़ीचर्स)

पुरस्कार-सम्मान

खैरनार को मेनन पुरस्कार

देश के जाने-माने विद्वान और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ पूरी शिद्दत से लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश खैरनार को 4 फ़रवरी के दिन दिल्ली में मुकुन्दन सी मेनन पुरस्कार (2017) से सम्मानित किया गया । यह सम्मान उन्हें नेशनल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइज़ेशन की तरफ़ से दिया गया । सुरेशजी को ये सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर के द्वारा दिया गया । इस कार्यक्रम में प्रोफ़ेसर जी॰एन॰ साईबाबा, प्रोफ़ेसर एस॰ए॰आर॰ गिलानी, मनीषा सेठी, इब्म अब्दुल रहमांन व प्रोफ़ेसर पी॰ कोया मौजूद थे ।

सुरेश खैरनार लगभग तीन दशक से बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ मुखर होकर बोलते रहे हैं । यही वो कारण भी है, जिसके चलते वे हमेशा चरमपंथियों के निशाने पर रहे हैं । सुरेशजी की ये संघर्ष यात्रा 1989 में भागलपुर जनसंहार के बाद से शुरू हुई । भागलपुर में हुए इस क़त्लेआम की हक़ीक़त को पूरे देश से परिचित कराने से लेकर भागलपुर के अन्दर पुनः सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी । बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए सांप्रदायिक उन्माद के ख़िलाफ़ भी उन्होंने महाराष्ट्र के अन्दर समाज को जोड़ने की दिशा में काफ़ी सकारात्मक भूमिका अदा की थी ।

डॉ॰ यायावर सम्मानित

उत्तर प्रदेश राष्ट्रधर्म प्रकाशन लखनऊ के राष्ट्रधर्म (मासिक) के 'सिंहावलोकन विशेषांक' के लोकार्पण समारोह में उत्तर प्रदेश राज्यपाल महामहिम राम नाइक एवं उपमुख्यमंत्री डॉ॰ दिनेश शर्मा ने डॉ॰ 'यायावर' को 'राष्ट्रधर्म गौरव' सम्मान देकर सम्मानित किया ।

"आख़िर उस व्यक्ति से ज़्यादा बहका हुआ इन्सान कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो 'क़ियामत' तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेख़बर है कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं, और जब सभी इन्सान इकट्ठा किये जाएंगे उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इन्कार करने वाले होंगे ।"

(क़ुरआन, 46:5-6)

A Well Wisher

SHIMOGA

इस्लाम एक नज़र में

🕮इस्लाम आप से क्या चाहता है?	मौलाना सय्यद हामिद अली	52.00
🕮इस्लाम और अज्ञान	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	15.00
🕮इस्लाम और उसका पैग़ाम	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
🕮इस्लाम और बर्थ कंट्रोल	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	60.00
🕮इस्लाम और मानव अधिकार	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
🕮इस्लाम और मानव एकता	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	13.00
🕮इस्लाम और सामाजिक न्याय	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
🕮इस्लाम और संन्यास	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	14.00
🕮इस्लाम एक नज़र में	मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही	100.00
🕮इस्लाम एक सिद्धान्त, एक आन्दोलन	मरयम जमीला	80.00
🕮इस्लाम का आरम्भ	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
🕮इस्लाम का असूल मेयार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	9.00
🕮इस्लाम का परिचय	मौलाना वहीदुद्दीन ख़ां	10.00
🕮इस्लाम का नैतिक दृष्टिकोण	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	14.00
🕮इस्लाम का संदेश	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	14.00
🕮इस्लाम की गोद में	मुहम्मद असद(नव-मुस्लिम पूर्व लियोपोल्ड)	60.00
🕮इस्लाम की जीवन-व्यवस्था	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	22.00
🕮इस्लाम की दावत	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	275.00
🕮इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	100.00
🕮इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था और दहेज प्रथा	प्रो० उमर हयात ख़ां ग़ौरी	24.00
🕮इस्लाम की बुनियादी बातें	मौलाना अब्दुल हई	12.00
🕮इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	114.00
🕮इस्लाम की शीतल छाया	मौलाना सय्यद हामिद अली	12.00
🕮इस्लाम की सार्वभौमिक शिक्षाएँ	डॉ० फरहत हुसैन	18.00
🕮इस्लाम के चारों ओर	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	14.00

MMI PUBLISHERS

D-307,Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Mob: 7290092401
E-mail:info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com
Website: www.mmipublishers.net

मुसीबत के वक़्त पहचान

■ स्मिता भूषण

''मां, रामलाल चाचा आये हैं,'' सुरभि ने दरवाज़े से ही आवाज़ देते हुए कहा । फिर उसने बैठक में ही टंगा राकेट उठाया और बाहर खेलने भाग गयी ।

''ओफ़्फ़ोह, बोर करने आ गये साहब'', अखिलेश झट कुर्सी खींच कर बैठ गया और कोर्स की किताब में मुंह छिपा लिया । उनकी बातें सुनने से अच्छा उसे पढ़ाई करना लगता था । यूं तो वह किसी के कहने-सुनने से शायद ही कभी पढ़ने बैठता था । मेरे पति भी अभी दफ़्तर से लौटे नहीं थे ।

हालांकि मैं भी ब्रेडरोल का मसाला तैयार करने में व्यस्त थी । पर रसोईघर तक आने में उन्हें कोई संकोच थोड़े ही होता । अत: काम छोड़कर चुपचाप सिंक में हाथ धोने लगी । अभी चौके तक आ पहुंचे । सारा तामझाम देखकर, मसालों की चटकदार खुशबू नथुनों में भरते हुए बोले, ''वाह-वाह, लगता है आज ब्रेडरोल बनेंगे ।''

''हां, बच्चों को भूख लग रही है, इसलिए...।''

''ठीक है, बच्चों के साथ हम भी खा लेंगे, उनमें और हममें कोई फ़र्क़ है क्या ?'' वे इस तरह ठहाका लगाकर हंसे मानो अभी-अभी चुटकला सुनाया हो ।

मैंने हार कर कड़ाई चढ़ाई और ब्रेडरोल तलने लगी । तब तक वे अखिलेश के कमरे में जा चुके थे । ''अच्छा, तो साहबज़ादे पढ़ाई कर रहे हैं । कीजिए-कीजिए । हम बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे'', कहते हुए वह बाहर निकल आये ओर ज़ोर-ज़ोर से कोई लोकगीत की धुन दोहराने लगे ।

अखिलेश का उनकी बातों से बचने का यह आज़माया हुआ सफल नुस्ख़ा था । इस बार भी वह कामयाब रहा ।

मैंने ब्रेडरोल की प्लेट उन्हें पकड़ाई और उनकी बातें सुनने के लिए अपने आपको मानसिक रूप से तैयार कर लिया । अपने गांव, खेत-खलिहान, पगडंडियां, वही घिसापिटा रिकार्ड, अखिलेश तो सुन-सुनकर तंग आ चुका था ।

''इतनी याद आती है अपने गांव की तो यहां क्यों नौकरी कर रहे हैं ? जाते क्यों नहीं अपने गांव ?'' वह अक्सर खीज कर कहता ।

''मजबूरियां थीं बेटे । खेत, घर, कुछ रहा नहीं, सो यहां आ गये । आगे बढ़ने की लगन थी, दिमाग़ भी ठीक-ठाक था सो छात्रवृत्ति के बल पर इंजीनियर बन गया ।''

''दिमाग़ अच्छा था, यह बताना पड़ रहा है...'' अखिलेश उनका मज़ाक़ उड़ाता ।

उनकी बातें अकेले सुनते हुए मुझे अखिलेश की टिप्पणियां याद कर के बेहद हंसी आ रही थी और वह शायद अपने पिता की मृत्यु का 10 बार सुनाया हुआ प्रसंग फिर सुना रहे थे । उन्हें मेरी बेवक़्त की हंसी बेहद खली ।

मुझे इस बात का ध्यान आया तो मैंने फ़ौरन होंठ सिकोड़ लिए ।

''भाभी जी, भैया तो आये नहीं । मैं सोच रहा था, उनके साथ बैठकर चाय पिएंगे'', उन्होंने चाय-पान की भूमिका बांधी । अत: मैं चुपचाप जाकर चाय चढ़ा आयी ।

.....

एक-डेढ़ घंटा दिमाग़ चाट कर जब वह गये, सिर बुरी तरह चकरा रहा था । अखिलेश के कमरे में जाकर देखा वह हथेली पर होंठ टिकाए बैठा था ।

''मां, रामलाल चाचा के घर आने का एक फ़ायदा तो है'', वह दार्शनिक मुद्रा बनाकर बोला एक कठिन पाठ कर रहा था ।

मेरा दिमाग़ इतना बोझिल हो चुका था कि उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की भी क्षमम मुझ में नहीं बची थी ।

जब मेरे प्रति विवेक घर आये तो मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा, ''कैसे-कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रखी है आपने ? पूरी कालोनी में जिसे कोई पूछता तक नहीं, यहां आये दिन मुंह उठाए चला आता है ।''

''रामलाल आया था क्या ?'' वह कुछ अपराधी स्वर में बोले ।

''और नहीं तो क्या । डेढ़ घंटे से बैठे थे । यह नहीं कि आप घर पर नहीं हैं तो चलते बनें, चाय-नाशता जब हुआ, तब गये ।''

''कुछ दिन की बात है, उसके बीवी-बच्चे आ जाएंगे तो अपने-आप आजा-जाना कम हो जाएगा । अकेला आदमी है, कर भी लिया चाय-नाश्ता तो कौन-सा आसमान टूट पड़ा'', इन्होंने लापरवाही से कहा ।

''हुंह, खुद झेलते तो पता चलता'', मैंने बड़बड़ाते हुए गैस चालू किया ।

''चाचा गये ?'' सुरभि ने आते ही पूछा, ''मैं तो घबरा ही गयी थी कि मेरे घर लौटने तक टलते भी हैं या नहीं । सचमुच बड़े 'बोर' हैं ।''

11 साल की सुरभि के शब्दकोश में जब से यह शब्द आया था, वह जब-तब इसका प्रयोग करती । रामलाल जी वाक़ई इस शब्द के साथ न्याय भी करते थे । 4-6 दिनों में एक चक्कर तो ज़रूर लगता था उनका । भोपाल से स्थानांतरित होकर नये-नये आये थे, तब अखिलेश और सुरभि भी उनके पास बैठ जाते । लेकिन जल्दी ही उनकी घिसी-पिटी बातों से ऊब गये । उनका परिवार अभी भोपाल में ही था और शैक्षणिक सत्र पूरा होने पर ही वे लोग आने वाले थे । तब तक यह महाशय हमारे ज़िम्मे थे ।

.....

मेरी पड़ोसी मधूलिका का भी जवाब नहीं । जब भी आएगी, बड़ी मासूमियत से पूछेगी, ''क्यों सुजाता, क्या रामलालजी नहीं आये ?'' जैसे कि रोज़ आते हों ।

फिर कहेगी, ''आप भी खूब हैं । न जाने कैसे सह लेती हैं ऐसे-वैसे लोगों को । निपट देहाती लगते हैं और विवेक साहब को 'भैया' कहते हैं । सुनकर ही हमें तो बड़ा अटपटा लगता है ।''

एक रोज़ रामलाल जी आये । आते ही उन्होंने फिर चायपान की भूमिका बांधी, ''भाभी जी, ठंड बहुत है ।''

''हां, सो तो है'', मैंने शुष्क स्वर में कहा ।

''ज़रा एक कप चाय पिलाइए ।''

मैंने लाचारी दिखाते हुए कहा, ''भाई साहब, दूध तो ख़त्म हो चुका है ।''

''अरे'', वह आनन-फ़ानन में रसोई तक पहुंच गये, ''दूध तो है भाभी जी । लगता है, आपको ध्यान नहीं रहा ।''

लेकिन आज मैं भी ज़िद पर अड़ी थी, ''दूध है पर अभी बच्चों ने नहीं पिया ?

''बच्चों ने नहीं पिया ?''

''तब तो हम चाय नहीं पिएंगे । बच्चों को दूध पिलाना पहले ज़रूरी है । हमें ही लीजिए, बचपन में तो खूब दूध पिया, बाद में कुछ रहा नहीं...'' वह अपनी रौ में बहने लगे ।

''भाई साहब, मुझे काम से बाहर जाना है'', मैंने ताला हाथ में उठाते हुए कहा ।

''अच्छी बात'', उनका मुंह उतर आया और वे चल पड़े ।

इस घटना के बाद मैंने उनके प्रति अपना यही रुख़ बनाए रखा । किसी नापसन्द व्यक्ति के साथ जब हम पहली बार दुर्व्यवहार करते हैं, हमारा अंतर्मन हमें कचोटता है, पर बाद में वही दुर्व्यवहार हमारी आदत बन जाती है । जो व्यक्ति अब तक मज़ाक़ लगता था, वह अब घृणा का पात्र बन गया ।

उनका हाथ बांध कर खड़े होना, पान की पीक से हरदम सने हुए दांत, तेल चुपड़े बाल, उनकी हर बात ही मुझे काट खाने दौड़ती । वे भी देर से ही सही, पर मेरी बेरुख़ी ताड़ गये । अब उनका घर पर आना काफ़ी कम हो गया । विवेक जब घर पर होते, तभी वह आते और मुझ से नाश्ते के अलावा कोई बात न करते । मैंने राहत की सांस ली । वक़्त-बेवक़्त का चाय-नाश्ता सब कुछ बंद हो गया ।

.....

उस रोज़ घंटी बजने पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने रामलाल जी को खड़ा पाया । पसीने में उनकी लथपथ काया देखकर मुझे सदा की भांति नफ़रत हो आयी ।

''विवेक घर पर नहीं हैं, कहते हुए मैं दरवाज़ा बंद करने को हुई । उन्होंने इशारे से मुझे रोकना चाहा । मैंने मन ही मन उन्हें कोसते हुए पूरा दरवाज़ा खोल दिया ।

''भाभी जी, बच्चे कहां हैं ?''

''स्कूल गये हैं, और कहां जाएंगे इस वक़्त ?'' मैंने लापरवाही से कहा ।

उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, ''आप इसी वक़्त

मेरे साथ चलिए, भैया दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं ।''

सुनते ही मुझे गश-सा आ गया, वह संभाल कर मुझे अन्दर ले आये ।

''भाभी जी आप घबराइए नहीं । उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आयी है'', उन्होंने कहा पर मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था । ऐसे समय तो लोग झूठ भी बोलते हैं, मौत की ख़बर तक छिपा जाते हैं ।

लड़खड़ाते क़दमों से मैं किसी तरह अस्पताल जाने के लिए निकली । रामलाल जी ने ही ताला लगाया । मुझे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था ।

''एक बच्चा दौड़ता हुआ भैया के स्कूटर के सामने आ गया । उसे वह बचाने लगे तो स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया और खुद ही गिर पड़े । स्कूटर भी उन्हीं पर गिरा । उठ भी नहीं पा रहे थे'', रामलाल जी स्कूटर से मुझे ले जाते हुए सारी घटना सुना रहे थे । मेरी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ता जा रहा था । हृदय में हड़कंप मचा था और सांसों में बवंडर ।

''10-15 मिनट भैया वैसे ही पड़े थे पर एक भी भले आदमी की इन्सानियत नहीं जागी । वह तो ग़नीमत थी कि उसी वक़्त मैं वहां से गुज़रा...।''

मुझे उनके शब्द भी ठीक से सुनायी नहीं दे रहे थे । बार-बार दिल यही मना रहा था कि वे ठीक हों ।

भाभी जी, आप भैया के सामने खुद को संभाले रहिएगा । आप तो जानती हैं कि वह अस्पताल के नाम से ही घबरा उठते हैं'', उन्होंने समझाते हुए कहा, पर दूर से ही इन्हें बिस्तर पर पड़े देखा तो रुलाई फूट पड़ी ।

''आप इनकी पत्नी हैं ?'' डॉक्टर पूछ रहा था, ''देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है । इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, कोई अंदरूनी चोट नहीं है ।''

डॉक्टर के शब्द मुझे अमृत तुल्य लग रहे थे । मन में अब तक उठती हुई भयानक आशंकाओं पर विराम लग गया था । डॉक्टर ने रामलाल जी को दवाइयों की परची दे दी ।

''सुजाता'', इनकी आंखें खुलीं । ''मैं यहीं हूं, आपके पास'', मैंने इनके कंधे को हौले से दबाया ।

.....

वे कराह उठे, ''सुजाता, बहुत तकलीफ़ हो रही है ।''

''सब ठीक हो जाएगा । आप घबराइए मत,'' मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा और भागी-भागी नर्स के पास गयी । उसने इन्हें दर्द से राहत दिलाने के लिए इंजेक्शन लगाया । थोड़ी ही देर में इनकी आंख लग गयी ।

''भाभी जी, ये दवाइयां ले आया हूं'', रामलाल जी न जाने कब आये थे । ''ये कुछ फल वग़ैरह भी रखे हैं । जब डॉक्टर कहें, भैया को दे दीजिएगा, वह कह रहे थे ।

रामलाल जी वे जाने के बाद मुझे बच्चों का ख़याल आया । हड़बड़ाहट में मुझे ध्यान ही नहीं रहा । अब तक तो दोनों घर आ चुके होंगे । ताला देखकर कहां जाएंगे, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था ।

फिर अचानक ख़याल आया कि पड़ोस की मधूलिका के यहां फ़ोन करके उन्हें बच्चों के बारे में बताया जा सकता है ।

मैंने फ़ोन करके मधूलिका को वस्तुस्थिति से अवगत कराया ।

''ओह यह तो बड़े अफ़सोस की बात है । भाई साहब दुर्घटनाग्रस्त हो गये । वैसे कोई ज़्यादा चोट तो नहीं आयी ?''

''पैर में फ्रैक्चर हो गया है ।''

''बुरा हुआ'', वह बोली ।

''हमारी कोई मदद वग़ैरह नहीं चाहिए ।''

वह 'नहीं' शब्द पर ज़ोर देती हुई बोली । उनका लहजा सुनकर मुझे रोना आने लगा ।

''ज़रा बच्चों को देखना था, वे आ जाएं तो...'' मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे कहूं कि आज रात बच्चों को अपने घर रख ले ।

''आप फ़िक्र मत कीजिए, वे बेरुख़ी से बोली, ''बच्चे आ जाएं, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप लोग नौरोज़ाबाद के अस्पताल में हैं'', उसने फ़ोन रख दिया ।

.....

मैं बोझिल क़दमों से इनके बिस्तर तक आयी । यूं बच्चे बिल्कुल छोटे तो नहीं थे पर अपनों की दुर्घटना की ख़बर तो अच्छे-अच्छे के पैरों तले ज़मीन खिसका देती है । फिर ये तो अनुभवहीन बच्चे हैं । मधूलिका जैसी रोज़ घर आने वाली अंतरंग सहेली का यह व्यवहार है तो बाक़ियों से क्या उम्मीद की जाए ।

तभी विचारों की धुंध छंट गयी । सामने रामलाल जी खड़े थे ।

''भाभी जी, आपके घर की चाबी मैं अखिलेश को

स्कूल में ही दे आया हूं। उसे सब कुछ समझा दिया है कि वह सुरभि को इस बारे में अभी कुछ न बताए। वह मेरे ही साथ आना चाहता था, पर मैंने उसे बताया कि इस वक़्त उसका सबसे बड़ा काम सुरभि को बहलाए रखना है'', रामलाल जी कह रहे थे।

मुझे याद आ रही थीं, अखिलेश की टिप्पणियां, उसका रामलाल जी का मज़ाक़ उड़ाना, उनके चलने-बोलने की नक़ल उतारना, सुरभि का उन्हें टाल कर बाहर सिसक जाना आदि-आदि।

''भाई साहब, आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं बच्चों के ही विषय में सोच रही थी'', मैंने कृतज्ञ स्वर में कहा तो वे बोले, ''मुझे भी ख़ासकर सुरभि की ही बड़ी चिंता थी। अब अखिलेश सब संभाल लेगा।''

''जब आप घर जाकर आराम कर लीजिए। रात भर भैया के पास मैं रहूंगा। मैं खाना बनाकर आपके घर रख आया हूं।''

मुझे एक-एक करके वे सारी घटनाएं याद आयीं, जब क़दम-क़दम पर मैंने उनका अपमान किया था। ख़ासकर वह घटना, जब उनके द्वारा चाय की फ़रमाइश किये जाने पर मैंने दूध न होने का बहाना बनाया था। पश्चाताप से मेरा हृदय फट जाना चाहता था।

मुझे मौन देखकर वे सांत्वना भरे स्वर में बोले, ''धीरज रखिए, भाभी जी, शुक्र है कि भैया सही सलामत हैं।''

घर आने पर देखा, सुरभि ने रो-रोकर आसमान सिर पर उठा लिया है। अखिलेश से पता चला कि मधूलिका अपना फ़र्ज़ पूरा कर गयी है। उसने सुरभि को दुर्घटना की ख़बर सुना दी थी। मैंने उसे संभाला। अखिलेश खाकर फ़ौरन अस्पताल चला गया।

.....

अगले दिन कालोनी में इस दुर्घटना की ख़बर फैल गयी थी। मैं थर्मस में चाय-नाश्ता लेकर अस्पताल जाने के लिए तैयार खड़ी थी कि घर में भीड़ लग गयी।

अनेक बार मैंने वह अनदेखी घटना सबको बता दी। 'ओह बुरा हुआ, देखकर नहीं चलते।''

''ट्रैफ़िक के नियम तो यहां कोई जानता ही नहीं।''

''बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए न कि खुला छोड़ना चाहिए।''

''समय का कोई भरोसा नहीं।''

चर्चा अपने पूरे रंग पर थी। एक विषय से दूसरा विषय निकलता जा रहा था। मुझे अस्पताल जाने की जल्दी थी पर कोई उठने का नाम भी तो ले। तभी रामलाल जी ने आकर मुझे इस विषम परिस्थिति से उबार लिया।

''भाभी जी, चलिए, आप तैयार हैं न'', वह आते ही बोल पड़े।

''जी, चलिए'', थैला संभालते हुए मैं उठ खड़ी हुई।

''रामलाल जी तो कर ही रहे हैं आपके लिए। फिर भी हमारे लायक़ कोई सेवा हो तो बताइएगा'', भीड़ में से कोई आवाज़ आयी।

''हां...हां, ज़रूर बताइएगा'', 2-4 और दबी-दबी सी आवाज़ें आयीं।

रामलाल जी मुझे और सुरभि को स्कूटर पर बिठा कर अस्पताल ले गये।

शाम को कई परिचित पड़ोसी और मित्र इन्हें देखने आये। ''किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं'', चलते समय हर कोई यह औपचारिकता ज़रूर निभाता। और मैं सोचती, कोई यह क्यों नहीं कहता, ''आप निसंकोच होकर हमें काम बताएं। किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो अवश्य बताएं।''

मगर सबकी 'नहीं' ने हमारे मुंह पर ताला डाल दिया। रामलाल जी को तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह चुस्ती से, मुस्तैदी से और स्वयं अपनी समझ से हमारी मदद कर रहे थे, जैसे सचमुच इनके छोटे भाई हों।

अखिलेश के लाख कहने पर भी उन्होंने उसे एक भी दिन अस्पताल में रुकने नहीं दिया। वे कहते, ''इसकी परीक्षा है, बेकार पढ़ाई का नुक़सान होगा।''

एक रोज़ जब हमेशा की तरह वे इनके लिए फल वग़ैरह ले आये तब मैंने उनसे दवाई और फलों के पैसों के बारे में पूछा। सुनते ही वह बिगड़ गये, ''भाभी जी, मैंने तो आप लोगों को कभी पराया नहीं समझा। आप इस तरह की बात कहकर मेरी भावना को चोट न पहुंचाएं।''

.....

उनकी इस बात से स्वयं अपनी ही कही एक बात मुझे कचोटने लगी, 'बड़ा चाचा बना फिरता है, बच्चों का। इतनी बार हमारे यहां खाता है पर यह नहीं कि बच्चों के लिए ही कभी कुछ लेता आये।' आज वे जो कुछ हमारे लिए, बच्चों

के लिए कर रहे थे, क्या किसी नज़दीकी रिश्तेदार से कम था । आजके ज़माने में तो रिश्तेदार तक मुंह फेर लेते हैं ।

रामलाल जी ने जाने के बाद ये भावविभोर होकर बोले, 'कितना करता है हमारे लिए । यह नहीं होता तो न जाने हमारा क्या हाल होता । उस रोज़ तो शायद मैं अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता ।''

मेरे पास तो रामलाल जी के विषय में बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे । मैंने उन्हें क्या समझा था और क्या निकले वे । मुझे इस व्यक्ति से इस क़दर नफ़रत हो गयी थी कि अक्सर ही इनसे पूछती, ''आपकी कैसे इस निपट गंवार से दोस्ती हो गयी ।''

''क्योंकि मैं इसे पहचानता हूं न अच्छी तरह । इसके मन में न तो किसी के लिए लेशमात्र ही ईर्ष्या है न बदले की भावना ।''

''यूं कहिए न कि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, इसी कारण तो पिछले वर्ष तरक़्क़ी नहीं ले पाए ।''

''प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, यह बात नहीं है, पर लक्ष्य को ग़लत ढंग से प्राप्त करने की कामना नहीं है'', ये कहते ।

''आजकल ईमानदारी का ढोल पीटने से कुछ होता है भला । ये क्या जाने कि वरिष्ठों को कैसे प्रभावित किया जाता है, देहाती जो ठहरा ।''

''सुजाता, मैं भी मध्यम वर्ग से आया हूं । इसलिए इतना जानता हूं कि इन्सानी जीवन मूल्य झूठी सफलताओं से बढ़कर है ।''

इनकी बात कितनी सही थी, इस बात का मुझे आज पता चला ।

इनकी हालत सुधरती जा रही थी । आख़िर वह दिन भी आया जब इन्हें अस्पताल से मुक्त कर दिया गया । रामलाल जी टैक्सी ले आये और हम सब इन्हें लेकर घर आ गये । घर आते वक़्त मुझे लग रहा था, जैसे मैं एक लंबा सफ़र करके आयी हूं । इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सीखने-समझने का मौक़ा दिया । सच कहा है कि इन्सान की सही पहचान मुसीबत के समय होती है ।

.....

अभी डॉक्टर ने इन्हें 15 दिन पूर्ण आराम करने की सलाह दी थी । अत: ये पूरे आराम के साथ घर में बिस्तर पर पड़े रहते थे ।

उस रोज़ रामलाल जी दफ़्तर से सीधे घर आये ।

''कैसे हैं भैया अब'', उन्होंने हमेशा की तरह ठेठ ग्रामीण लहजे में पूछा ।

''ठीक हैं, आइए'', मैंने उनका भरपूर स्वागत किया ।

सुरभि बाहर खेलने जा रही थी । ''अरे, रामलाल चाचा आये हैं, मैं थोड़ी देर बाद खेलने जाऊंगी'' वह बोली । अखिलेश कुछ पढ़ रहा था । वह भी बैठक में आ गया ।

रामलाल जी अपने पुराने फ़ार्म में लौट आये । वही पुरानी घटनाएं, खेत-खलिहान, ज़मीन, घर, गांव की बातें । पर आज उनका श्रोतावर्ग अपेक्षाकृत बड़ा था और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था ।

'इतने संघर्षों को कैसे पार किया होगा इन्होंने अकेले ही ? कैसे हर मोर्चे पर ख़ुद ही डटे होंगे ? इनके चाचाओं ने इनके पिता की मृत्यु के बाद सारी जायदाद हड़प ली तो सड़क पर ही आ खड़े हुए थे बेचारे । उस सड़क के वापस घर तक जाने में कितना फ़ासला तय करना पड़ा होगा । अखिलेश की उम्र में ही बुज़ुर्ग बनना पड़ा होगा, 'मेरे मन में उनके प्रति भाव जाग उठा ।

उनके सारे अनुभवों को मैं आज बिल्कुल नयी दृष्टि से देख रही थी । इतनी तकलीफ़ें अकेले उठायीं । इसलिए वे सारी घटनाएं उन्हें हमेशा के लिए याद हो गयीं । बहुत दिनों से रुका हुआ पानी जिस तरह निकलने का मार्ग पाते ही पूरे वेग से वह निकलता है, उसी तरह उनकी सारी व्यथा इनसे मिलकर और अपनत्व पाकर शब्द रूप में बह निकली । क्या इनके अनुभव हम सबके लिए अनमोल थाती नहीं थे ?

''चाचा, आपने बेहद बहादुरी से अपने जीवन की यह लड़ाई ख़ुद लड़ी । वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आपने अच्छी शिक्षा भी पूरी की । मैं तो अभी डांट-डपट के बग़ैर पढ़-लिख नहीं पाता'', अखिलेश पूरे उत्साह व गंभीरता से कह रहा था ।

''हालत सब कुछ सिखा देते हैं, बेटे''।

ये अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रहे थे । वातावरण कुछ बोझिल हो गया था । हमारी चुप्पी से वे समझे कि हम लोग उनकी बातों से बोर हो रहे हैं ।

अत: उठने का उपक्रम करने लगे कि हठात मेरे मुंह से निकल पड़ा, ''अभी बैठिए न भाई साहब, मैं आपके लिए एक गिलास मलाईदार चाय बनाकर लाती हूं ।''

हज़रत अब्बास
बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि॰)
कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल
(सल्ल॰) को कहते सुना : "दो
आंखें ऐसी हैं जिनको (जहन्नम की)
आग नहीं छूएगी, एक आंख वह है
जो मध्य रात में अल्लाह के डर से
रोई, और दूसरी आंख वह जिसने
अल्लाह के मार्ग में निगहबानी
करते रात बिताई।"
(तबरानी)

A Well Wisher
NAGPUR

मानवाधिकार संरक्षा में साहित्य की भूमिका

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

साहित्य को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन समग्र रूप से उस संचित भंडार का नाम साहित्य है, जिसमें विशेषकर मनुष्यों की हित-चिंता, उनकी भलाई-कल्याण और उनके नैसर्गिक अधिकारों के तत्वों का पर्याप्त समावेश होता है । साहित्य के धरातल पर जहां मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का चित्रण होता है, वहीं यह विचारों, रीति-रिवाजों और घटनाओं की स्मृति को संरक्षित रखता है । इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है । लेकन सिर्फ़ दर्पण बनना ही साहित्य को अभीष्ट नहीं । यह दर्पण की जड़ता का क़ायल नहीं, अपितु जड़ता तोड़ने का क़ायल है ।

साहित्य तो वास्तविक अर्थों में 'दर्पण' के अंधकार पक्ष को उजाले में तब्दील करना चाहता है, उसमें मनोहारी पुष्प उगाना चाहता है और उन अवसरों की खोज के लिए मार्गदर्शन करता है जहां से मानवीय जीवन प्रकाशमय होता है । अच्छाई की ओर स्थिति-परिवर्तन इसका मौलिक स्वभाव है ।

वास्तव में साहित्य का यह अधिकार भी है कि वह सर्व जन के सर्वहित व कल्याण के लिए प्रयास करे, इसके लिए जन-मानस को प्रबोधित एवं उद्वेलित करे । स्पष्ट है कि साहित्य अपना यह कार्य उस समय तक ठीक ढंग से संपादित नहीं कर सकता, जब तक कि मनुष्य और मनुष्यत्व के सरोकारों से उसका सीधा जुड़ाव न हो । उसकी समस्याओं, दुख-दर्द और वेदनाओं-संवेदनाओं के उद्‌घाटन के साथ ही उसके अधिकारों के प्रति चेतना का प्रवाह साहित्य के अनन्य अंग हैं । प्रत्येक भाषा के साहित्य की मूल प्रकृति इन विशेषताओं से भिन्न नहीं है । हां, इनमें कमीबेशी की बात अलग है । इसका एक प्रमुख कारण साहित्यकारों का जागरूकताबोध माना जा सकता है, जो कमीबेशी का रूप लेता रहा है ।

हम यहां कुछ भाषाओं के उस साहित्य पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसमें सामाजिक विसंगतियों के साथ-साथ मानवाधिकारों की रक्षा पर भी किसी न किसी रूप में प्रकाश डाला गया है । जहां तक अंग्रेज़ी साहित्य का संबंध है तो इसमें काफ़ी नुमायां तौर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूक दिखायी पड़ती है । शेक्सपियर की रचनाओं–विशेषकर 'द मर्चेन्ट ऑफ़ वेनिस', 'ऐज यू लाइक इट' और 'मैकबेथ' में मानवीय संवेदनाएं अपने नैसर्गिक अधिकारों की ओर संकेत करती हैं जो ईश्वर ने मनुष्यों को प्रदान किये हैं । बर्नार्ड शॉ की रचनाओं में भी ये तत्व जहां-तहां बिखरे हुए मिलते हैं ।

मानवाधिकारों के प्रति जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ी, वैसे-वैसे साहित्य सृजन में इनका समावेश भी होता चला गया । मुल्क राज आनन्द का उपन्यास 'अनटचेबल' (Untouchable), इसाबेला अलेंडे (Isabella Allende) की औपन्यासिक रचना 'द हाउसेज ऑफ़ द स्प्रिट' (The houses of the spirits) (उपन्यास), मैनलियो अरक्वेटा (Manlio Arqueta) की रचना 'वन डे ऑफ़ लाइफ़' (उपन्यास), भारती मुखर्जी की कृति 'जैसमिन' (उपन्यास), अलडॉस हक्सले का उपन्यास 'ब्रेव न्यू वर्ल्ड' और जॉर्ज आर्वेल की रचना '1984' (उपन्यास) मानवाधिकारों और उनकी सुरक्षा के विभिन्न पक्षों को उकेरने में सक्षम है । इसी प्रकार अंग्रेज़ी काव्य में मानवाधिकार की भरपूर चर्चा की गयी है ।

उदाहरण के रूप में फिलिप लोपेट (Phillip Lopate) की कविता 'सॉलीडरटी विद मोज़ाम्बीक' (Soliderity with Mozambique), अन्मा अक्मतोवा (Anma Akmatova) की 'क्वीम' (Rquiem), नाज़िम हिकमत की 'फ्राम ए मैन इन सॉलीटेरी', डब्ल्यू॰ एच॰ औडेन (W.H. Auden) की 'द अननोन सिटीज़न', नीना कैस्सियन की 'दे कट मी इन टू' के साथ ही पाब्लो नेरुदा (Pablo Neruda) की रचना 'टूवार्ड द स्पलेंडेड सिटी' में मानवाधिकार, मानव जीवन के संत्रास, उसकी वेदना और उपेक्षा को चित्रित किया गया है । प्राचीन

अंग्रेज़ी साहित्य में भी मानवाधिकारों की जो छवि दिखलायी पड़ती है, उसमें समय व्यतीत होने के साथ अभिवृद्धि होती जा रही है ।

भारत में इस्लाम के आगमन के बाद इसकी कल्याणकारी शिक्षाओं का अन्य क्षेत्रों के साथ साहित्यिक माहौल पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, यहां तक कि भक्तिकाल के कवियों ने इस्लाम का नाम लिए बिना उसकी शिक्षाओं को विविध रूपों में अपनी रचनाओं में स्थान दिया । सूफ़ी साहित्य में इस्लाम और मानवाधिकार के मूल तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । यहां की सभी भाषाओं पर इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है । 10 दिसम्बर 1948 ई० को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषणा-पत्र स्वीकृत करने से चौदह सौ वर्ष पहले इस्लाम ने मानव सम्मान और अधिकारों का जो आह्वान किया था, उसे ही सही अर्थों में पहला मानवाधिकार घोषणा-पत्र माना जाना चाहिए । इतिहास साक्षी है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, समानता, सम्मान, अधिकार आदि को समाज में व्यावहारिक रूप दिया ।

मौलाना जलालुद्दीन उमरी लिखते हैं कि इस्लाम के आने से पहले कमज़ोरों के अधिकार अरब में ही नहीं दुनिया में किसी भी जगह सुरक्षित नहीं थे । उनका बुरी तरह शोषण हो रहा था और उन पर जुल्म-ज़्यादती आख़िरी हद को पहुंच चुकी थी । इस्लाम ने शुरू से उनके हक़ में आवाज़ उठायी और उन पर जो जुल्म-ज़्यादती हो रही थी उस पर कठोर दंड की धमकी दी और दुनिया व आख़िरत में उसके बुरे अंजाम से ख़बरदार किया । उसने औरतों के, अधीनस्थों और शासितों के, बेबसों, बूढ़ों और कमज़ोरों के अधिकार सिर्फ़ बयान ही नहीं किये, बल्कि व्यावहारिक रूप से उपलब्ध किये और समुदाय तथा समाज को उनके साथ बेहतर से बेहतर आचरण की प्रेरणा दी और सहानुभूति एवं सहायता की भावना पैदा की ।''

('इस्लाम और मानव-अधिकार', पृष्ठ 15)

भारतीय साहित्य में मानवाधिकार और सम्मान के इन बुनियादी तत्वों का समावेश और साहित्य सृजन में इन्हें समुचित स्थान मिलने में इस्लाम की मानव उपकारी-कल्याणकारी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान है । अनेक मुस्लिम साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में मानव-मूल्यों के समावेश की इस परंपरा का दायित्वपूर्ण निर्वहन किया है और आज भी कर रहे हैं । अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी के द्वारा मानवता की महानता बतायी, उसकी वास्तविक पहचान करायी और उसमें अपेक्षित स्वाभाविक ऊर्जा का नव-संचार किया । इस सिलसिले में फ़ारसी का एक शेअर प्रस्तुत है–

शब-ए हिन्दी गुलामां रा सहर नीस्त
ब-ईं ख़ाक आफ़ताबे रा गुज़र नीस्त ।

अर्थात, हिन्दुस्तानी दासों की रात की कोई सुबह नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस भू-भाग पर कभी सूर्य नहीं निकलेगा ।

जोश ने मनुष्यों को अपने हक़ों को पहचानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया । मौलाना अबुल आला मौदूदी, सर सैयद अहमद ख़ां, मुहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, वली दकनी, मीर, सौदा और ज़काउल्लाह आदि ने अपने लेखों के ज़रिये इन्सानों के दुख-दर्द को उजागर करने के साथ ही उनके सहज-स्वाभाविक अधिकारों की वकालत की एवं उनके लौकिक व पारलौकिक कल्याण पर बल दिया । उर्दू साहित्य में सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, राजेन्द्र सिंह बेदी, किशन चन्दर, उपेन्द्रनाथ अश्क, फ़ैज़ अहमद 'फ़ैज़', अली सरदार जाफ़री आदि के मानवाधिकार व जन-सरोकार मूल्यों के योगदानों को विस्मृत नहीं किया जा सकता ।

उर्दू भाषा के प्रख्यात निबंधकार डॉ० आबिद हुसैन, जो अपनी विनोद प्रधान शैली के लिए भी विख्यात रहे हैं, 'हिन्दुस्तानी मुसलमान' शीर्षक लेख में लिखते हैं–

''जो काम उसे (मुसलमानों को) इस जीवन में सौंपा गया है वह है सत्य की पहचान, सत्य की घोषणा, भलाई की ओर बढ़ना और भलाई का प्रचार करना, सौंदर्य की प्रशंसा और सौन्दर्य की उपज, न्याय का पालन करना और न्याय को स्थायी रखना है । उसे ज्ञान, शक्ति और धन प्राप्त करने की आज्ञा दी गयी, परन्तु इस शर्त के साथ कि ज्ञान को सत्य और भलाई के लिए बरते और शक्ति को न्याय और प्रेम के अधीन रखे और धन को अल्लाह की राह में यानी अल्लाह के सर्जित संसार की सेवा के लिए अर्पण करे ।''

गुलाम नबी 'ख़याल' कश्मीरी साहित्य में जीवन के दर्द का इस प्रकार चित्रण करते हैं–

''जिसकी मिट्टी तक बारूद से उड़ी होगी

जिस पर मानव-रक्त का छिड़काव-सा हुआ होगा
दूर सीमांत के ऐसे ही निर्जन कोने में–
कल,
रक्त से भरा मेरा तन
मेरे दोस्त दफ़न कर देंगे
मेरा तन-जिससे मेरे वतन ने प्यार किया ।''

('सीमांत चौकी' शीर्षक कविता से)

प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में कमज़ोर व कोमल वर्गों के मूलभूत मानवाधिकारों को प्रबलता के साथ समाविष्ट किया और इन्हें अनेक कथानकों का आधार बनाने का भी श्रेय प्राप्त किया । चाहे उनकी 1907 ई॰ में छपी पहली रचना-लघु उपन्यास 'प्रेमा' (उर्दू में 'हमखुर्मा व हमसवाब') हो जिसमें उन्होंने एक विधवा लड़की के पुनर्विवाह का प्रभावी दृश्य प्रस्तुत किया, चाहे 'गोदान' (अंतिम उपन्यास) हो जिसमें होरी की व्यथा-कथा बड़े ही मार्मिक ढंग से उकेरी गयी है, सभी में मानव सम्मान, अधिकार व प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष का लंबा सिलसिला है । 'गोदान' के होरी की मार्मिक स्थिति उसके ही अंतिम 'क्षीण स्वर' में सुनिए–

''मेरा कहा-सुना माफ़ कर धनिया ! अब जाता हूं । गाय की लालसा मन में ही रह गयी । अब तो यहां के रुपये क्रिया-करम में जाएंगे । रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी ? सब दुर्दसा हो गयी । अब मरने दे ।''

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की वह जो पत्थर तोड़ती है कितनी व्यथा झेलती है ! आइए इन पंक्तियों से जानें–

''चढ़ रही थी धूप
गर्मियों के दिन
दिवा का तमतमाता रूप
उठी झुलसाती हुई लू
रूई ज्यों जलती हुई भू
गर्द चिनगी छा गयी
प्राय: हुई दुपहर
वह तोड़ती पत्थर ।''

बाल मुकुन्द गुप्त, लार्ड मिंटो का स्वागत इन शब्दों में करते हैं–

''जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारों पर खड़े होकर श्रीमान पर बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि डाली । इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गाली, घूंसे और धक्के भी बर्दाश्त किये । बस, उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली ।''

('शिवशंभु का चिट्ठा' से)

ऐसे में जैनेन्द्र का 'त्याग-पत्र' (उपन्यास) यह उद्‌गार प्रकट करता है–''दुर्जनता ही मानो क़ीमती है । यहां उसी हिसाब से मानव की घट-बढ़ क़ीमत है ।'' फणीश्वरनाथ रेणु का 'मैला आंचल' इतना मैला है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'भारत दुर्दशा' (नाटक) सहज ही प्रासंगिक हो उठती है । कैसी है यह दुर्दशा ? एक पात्र कहता है–

''हा ! भारतवर्ष को ऐसी मोहनिद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं । सच है, जो जान-बूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा ?''

आज का भारत भी दुर्दशाग्रस्त है । वह मानव गरिमा, सम्मान और अधिकार के गंभीर सवालों से जूझ रहा है । फिर भी संतोष की बात यह है कि अनेक भाषाओं के साहित्य में इन सवालों को पहले की अपेक्षा अधिक स्थान मिल रहा है ।



"आख़िर उस व्यक्ति से ज़्यादा बहका हुआ इन्सान कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो 'क़ियामत' तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेख़बर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं, और जब सभी इन्सान इकट्ठा किये जाएंगे उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इन्कार करने वाले होंगे।" (क़ुरआन, 46:5-6)

A Well Wisher

MUMBAI

यरुशलम : अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों के संदर्भ में

■ डॉ॰ रमेश कुमार वांकवाणी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐतिहासिक पवित्र नगर यरुशलम को इसराईल की राजधानी स्वीकार करने की दुखद घोषणा ऐसे समय में आयी है जब फ़िलिस्तीनी मुसलमान यरुशलम के विघटन के सौ साल की याद मना रहे हैं । पिछली शताब्दी में, 1917 ई॰ में दिसम्बर ही के महीने में, ख़िलाफ़ते उस्मानिया को ब्रिटिश साम्राज्य से हार के नतीजे में यरुशलम गंवाना पड़ा था । प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व स्तर पर किसी भू-भाग का विजयी राज्य में मिला लेने पर स्वामित्व स्वीकार कर लिया जाता था लेकिन 1928 में अमेरिका और फ्रांस के बीच समझौते में शक्ति के बल पर क्षेत्र जीतना अवैध और अस्वीकार्य क़रार दे दिया गया ।

जल्द ही पेरिस समझौता अन्य देशों ने भी स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार विजित क्षेत्र को क़ानूनी तौर पर अधिकृत क्षेत्र घोषित किया गया और यह तय पाया कि क़ब्ज़ा करने वाली शक्ति को क़तई यह अधिकार नहीं कि वह अधिकृत क्षेत्र की आबादी या भूगोल में कोई भी बदलाव लाने की कोशिश करें क्योंकि जल्दी या देर से, उसे क़ब्ज़े वाले क्षेत्र को स्थानीय लोगों को सौंपना ही पड़ता है । यह वैश्विक समझौता आज भी उपयोगी है ।

यही कारण है कि आज से ठीक सौ साल पहले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन पर क़ब्ज़ा कर लिया तो लीग ऑफ़ नेशंस ने फ़िलिस्तीनी जनादेश के तहत ब्रिटेन को फ़िलिस्तीन अमानत के रूप में सौंप दिया । जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में यहां के स्थानीय फ़िलिस्तीनी निवासियों को अपनी सरकारी व्यवस्था खुद चलाने में सक्षम बनाना शामिल था । इन हालात में ब्रिटेन सरकार द्वारा बिल्फौर घोषणा द्वारा फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए 'होम लैंड' स्थापित करने का समर्थन करने का इरादा किया गया ।

उस ज़माने में अमेरिकी सरकार की विदेश नीति भी बिलफौर घोषणा के चारों ओर घूमती थी । अमेरिकी कांग्रेस ने सितंबर 1922 में फ़िलिस्तीनियों के लिए एक होम लैंड स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया, लेकिन यह भी बताया कि इस तरह के उपाय स्थानीय फ़िलिस्तीनी लोगों के हितों को नुक़सान नहीं पहुंचाएं। इत्तिफ़ाक़ से यह वही दिन था जब लीग ऑफ़ नेशंस ने फ़िलिस्तीनी जनादेश पारित किया । इसके विपरीत आज ज़मीनी सच्चाई यह है कि इसराईल ने यरुशलम सहित सभी फ़िलिस्तीनी और आसपास के अरब क्षेत्रों में अवैध वर्चस्व जमा कर ग़ैर-यहूदी फ़िलिस्तीनी निवासियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है ।

ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशलीलाओं के बाद फ़िलिस्तीन की ज़िम्मेदारियां उठाने में सक्षम न रहा तो संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के अनुसार 1948 में फ़िलिस्तीन को दो स्वतंत्र राज्यों इसराईल और फ़िलिस्तीन और यरुशलम को विशेष वैश्विक शहर के रूप में विभाजित कर दिया । उस समय यरुशलम, इसराईल का हिस्सा नहीं था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प नंबर 181(ii) यरुशलम शहर को वैश्विक शहर स्वीकार करने और संयुक्त राष्ट्र के तहत प्रशासनिक मामलों को चलाने की मांग करती है । संयुक्त राष्ट्र योजना के अनुसार स्वतंत्र राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग और धार्मिक व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की भी बात की गयी, लेकिन इस योजना के लागू होते ही इसराईल का पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध छिड़ गया और इसराईल ने पश्चिमी यरुशलम पर क़ब्ज़ा कर लिया जिसे संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक समुदाय ने अभी स्वीकार नहीं किया । युद्ध के कारण फ़िलिस्तीन के लिए आवंटित 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर भी इसराईल ने अवैध वर्चस्व जमा लिया और सात लाख से अधिक स्थानीय फ़िलिस्तीनी निवासियों को अपने पैतृक घरों से निकाल दिया जो आज भी शरण की खोज में हैं ।

दिसम्बर 1949 में इसराईल कैबिनेट ने अपने तेल अवीव बैठक में संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकृत पश्चिमी यरुशलम को इसराईल की राजधानी घोषित कर दिया । बाद में 1950 में इसराईल संसद

ने भी अपने पहले सत्र में इस ग़ैर-क़ानूनी क़दम का समर्थन कर दिया लेकिन विश्व समुदाय ने इसराईली स्टैंड को स्वीकार करने से परहेज़ करते हुए अपने दूतावास तेल अवीव ही में क़ायम रखे । दूसरी ओर पाकिस्तान सहित अधिकतर मुस्लिम देश इसराईल को बतौर देश स्वीकार नहीं करते । इसराईल 1967 की दूसरी अरब इसराईल युद्ध के बाद पूरी तरह से यरुशलम सहित अन्य अरब क्षेत्रों पर क़ाबिज़ हो गया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 242 में इसराईल अधिकृत क्षेत्रों को ख़ाली करने की मांग की गयी । यह प्रस्ताव क्षेत्रीय शांति और सद्भाव के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है जिसने भविष्य में इसराईल के मिस्र, जोर्डन और फ़िलिस्तीन के साथ शांति समझौतों का मार्ग प्रशस्त किया ।

शांति के लिए की जाने वाले विश्व प्रयासों को झटका उस समय लगा जब इसराईली संसद ने 1980 में पूर्ण यरुशलम को इसराईल की राजधानी घोषित कर दिया । जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव नंबर 478 स्वीकृत करके इसराईली क़दम की निंदा करते हुए सदस्य देशों को बाध्य किया कि वे अपने दूतावास यरुशलम न ले जाएं ।

इस अवसर पर प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक वोट भी नहीं आया । अमेरिका ने वोट डालने से परहेज़ किया । विश्व पर्यवेक्षकों की नज़र में इसराईल की शक्ति का रहस्य सुपर पावर अमेरिका के समर्थन को समझा जाता है । अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र में पेश ऐसे सभी प्रस्तावों को वीटो करता आ रहा है जिसमें इसराईल के अत्याचारों की निंदा, इसराईल से अधिकृत क्षेत्रों को ख़ाली करने की मांग या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने की मांग की जाती है ।

इसराईल लॉबी 1995 में अमेरिकी कांग्रेस को यह समझाने में सफल हो गयी कि यरुशलम इसराईल के क़ानूनी राजधानी है और अमेरिकी दूतावास तेल अवीव से यरुशलम 31 मई 1999 से पहले ले जाया जाए । यरुशलम एंबेसी अधिनियम नामक यह क़ानून पारित तो हो गया लेकिन वैश्विक नियमों के विरोध की वजह से तुरंत लागू न हो सका और अमेरिकी राष्ट्रपतियों सहित बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू॰ बुश और बराक ओबामा हर 6 महीने बाद उसकी कार्यान्वयन अवधि में वृद्धि करते रहे । यरुशलम एंबेसी अधिनियम के धारा 3 (a-1) के अनुसार अमेरिकी नीति के तहत यरुशलम एक ऐसा शहर घोषित किया गया है जहां प्रत्येक के धार्मिक और जातीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो । लेकिन यरुशलम में स्थापित मस्जिदे अक़्सा में मुसलमानों के मज़हबी फ़राइज़ की अदायगी पर प्रतिबंध और डोनाल्ड ट्रंप के हाल की घोषणा के बाद यरुशलम में फ़िलिस्तीनी प्रदर्शन- कारियों पर जो क्रूर तरीक़ों से अत्याचार किया गया बल्कि हवाई हमले भी किये गये । यह अमानवीय कार्रवाई यरुशलम एंबेसी अधिनियम का भी उल्लंघन है ।

इस स्तंभकार की नज़र में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार यरुशलम की पवित्रता को सर्वोपरि रखते हुए वेटिकन सिटी की तर्ज पर स्वतंत्र वैश्विक स्थिति को स्थापित करना ज़रूरी है । या फिर दो राज्य समाधान के तहत दोनों पक्ष आपसी सहमति से यरुशलम को साझा राजधानी स्वीकार करने पर आमादा हों । बलपूर्वक इसराईल का अधिकृत यरुशलम को अपनी राजधानी क़रार देना और अमेरिका के दूतावास को वहां ले जाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है । मैं समझता हूं कि अमेरिका पर सुपरपावर होने के रूप में यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह विश्व शांति बनाए रखने में निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, क्योंकि सुपरपावर के एक ग़लत निर्णय का ख़ामियाज़ा सारी मानवता को भुगतना पड़ जाता है ।

ग़ज़ल

रोशनी तुमको अगर दरकार है
फिर दियों से किस लिए तकरार है

फूल जिसमें खिल सकें उम्मीद के
ज़िन्दगी होती वही गुलज़ार है

हौसला है तो कठिन कुछ भी नहीं
ये नहीं तो काम हर दुश्वार है

है बुरी तो अब गिला भी मत करो
आपने खुद ही चुनी सरकार है

है हक़ीक़त ये पुरानी ऐ 'अनूप'
भूख से लड़ता रहा फ़नकार है ।

अनुपिन्द्र सिंह 'अनूप'
पानीपत (हरियाणा)

भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियां-2

(गतांक का शेष)

800-1900

1802–बेसेन की संधि ।
1809–अमृतसर की संधि ।
1829–सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया ।
1830–ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय की इंग्लैंड की यात्रा ।
1833–राजाराम मोहन राय की मृत्यु ।
1839–महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु ।
1839-42–पहला अफ़ग़ान युद्ध ।
1845-46–पहला अंग्रेज़-सिख युद्ध ।
1852–दूसरा अंग्रेज़-बर्मा युद्ध ।
1853–बाम्बे (मुम्बई) से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन और कलकत्ता (कोलकाता)में टेलीग्राफ़ लाइन खोली गयी।
1857–सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला संग्राम ।
1861–रबीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म ।
1869–गांधी जी का जन्म ।
1885–भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ।
1889–जवाहरलाल नेहरू का जन्म ।
1897–सुभाष चंद्र बोस का जन्म ।

1900-1970

1904–तिब्बत की यात्रा ।
1905–लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पहला बंटवारा ।
1906–मुस्लिम लीग की स्थापना ।
1911–दिल्ली दरबार-ब्रिटेन के राजा और रानी की भारत यात्रा-दिल्ली भारत की राजधनी बनी ।
1916–पहले विश्व युद्ध की शुरुआत ।
1916–मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर ।
1918–पहले विश्व युद्ध की समाप्ति ।
1919–मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार-अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड ।
1920–ख़िलाफ़त आंदोलन की शुरुआत ।
1927–साइमन कमीशन का बहिष्कार, भारत में प्रसारण की शुरुआत ।
1928–लाला लाजपतराय (शेरे-पंजाब) की मृत्यु ।
1929–लॉर्ड ऑर्वम समझौता, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास ।
1930–सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत-गांधी जी द्वारा दांडी मार्च (अप्रैल 6, 1930) ।
1931–गांधी-इर्विन समझौता ।
1935–भारत सरकार अधिनियम पारित ।
1937–प्रांतीय स्वायत्तता, कांग्रेस मंत्रियों का पद ग्रहण ।
1941–रबीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु, भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन ।
1942–क्रिप्स मिशन के भारत आगमन पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ।
1943-44–नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रांतीय आज़ाद हिंदू हुकूमत, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की और बंगाल में अकाल ।
1945–लाल क़िले में आई॰एन॰ए॰ का ट्रायल, शिमला समझौता और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ।
1946–ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा-केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन ।
1947–भारत का विभाजन ।
1948–महात्मा गांधी पर हमला (जनवरी 30), देशी रियासतों का भारतीय गणराज्य में विलय ।
1949–कश्मीर पर युद्ध विराम, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर और उसे अपनाया गया ।
1950–भारत एक सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना (जनवरी 26) और भारतीय संविधान लागू हुआ ।
1951–पहली पंचवर्षीय योजना । पहले एशियाई खेल दिल्ली में हुए ।
1952–लोकसभा का पहला आम चुनाव ।
1953–तेन्जिंग नॉर्ग्ये और सर एडमंड हिलेरी की एवरेस्ट पर फ़तह ।

1956–दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ।
1957–दूसरे आम चुनाव, डेसिमल कॉयनेज की शुरुआत, गोवा की आज़ादी ।
1962–तीसरे आम चुनाव-भारत पर चीन का आक्रमण ।
1963–नागालैंड 16वां भारतीय राज्य बना ।
1964–जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ।
1965–पाकिस्तान का भारत पर हमला ।
1966–ताशकंद समझौता-लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु-इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री चुनी गयीं ।
1967–चौथा आम चुनाव-डॉ॰ ज़ाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गये ।
1969–वी॰वी॰ गिरी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण ।
1970–मेघालय को एक अलग राज्य का दर्जा मिला ।

इंटरपोल नोटिसें

इंटरपोल की ओर से उसके सदस्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इंटरपोल नोटिस या इंटरनेशनल नोटिस जारी किया जाता है । सात प्रकार के नोटिस इंटरपोल की ओर से जारी किये जाते हैं, इनमें से छह अपने रंगों के नाम से जाने जाते हैं । इन्हें रेड कॉर्नर नोटिस, ब्ल्यू नोटिस, ग्रीन नोटिस, यलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस और इंटरपोल-यू॰एन॰ नोटिस के नाम से जाना जाता है । ये नोटिस इंटरपोल की आधिकारिक भाषाओं अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी भाषा में जारी किये जाते हैं । इंटरपोल तभी नोटिस जारी करता है, जब उसे सभी जानकारियां दी गयी होती हैं और वह प्रक्रिया की सभी शर्तों से संतुष्ट होता है ।

रेड कॉर्नर नोटिस

रेड कॉर्नर नोटिस सभी सदस्य देशों को किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी के लिए जारी किया जाता है, जो किसी देश में जुर्म कर दूसरे देश में भाग जाते हैं । गिरफ़्तारी के बाद अधिकारी उस व्यक्ति के देश या उस देश को सूचना देता है, जहां उसने जुर्म किया हो । वर्ष 2009 में 5020 रेड नोटिस इंटरपोल ने जारी किये थे ।

ऑरेंज नोटिस

यह नोटिस पुलिस और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को ख़तरनाक सामग्री, पार्सल बम आदि के ख़तरों के बारे में आगाह करने के लिए जारी किया जाता है । पिछले वर्ष जारी किये गये इन नोटिस की संख्या 17 थी ।

यलो नोटिस

गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए या उन लोगों की पहचान के लिए जो अपनी पहचान बताने में अक्षम होते हैं, विशेष रूप से नाबालिग़ के बारे में जानने के लिए जारी किया जाता है । पिछले वर्ष ऐसे 472 नोटिस जारी किये गये थे ।

जो लोग अपराध कर चुके होते हैं और किसी दूसरे देश में उस अपराध को दोहरा सकते हैं, उनके बारे में चेतावनी जारी करने और आपराधिक जानकारी देने के लिए ऐसे नोटिस जारी किये जाते हैं । वर्ष 2009 में 1139 ग्रीन नोटिस जारी किये गये थे ।

ब्ल्यू नोटिस

किसी जुर्म से संबंधित व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्ल्यू नोटिस जारी किये जाते हैं । पिछले वर्ष इंटरपोल की ओर से 522 ब्ल्यू नोटिस जारी किये गये थे ।

ब्लैक नोटिस

अज्ञात शवों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किये जाते हैं । पिछले वर्ष जारी किये गये ऐसे नोटिस की संख्या 103 थी ।

इंटरपोल-यू॰एन॰ नोटिस

इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष नोटिस संगठनों या व्यक्तिगत रूप से उनके लिए जारी किया जाता है, जो अलक़ायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ लगाए गये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं । इसकी शुरुआत 2005 से यू॰एन॰ सुरक्षा परिषद की ओर से आग्रह करने के बाद हुई थी । पिछले वर्ष ऐसे 17 नोटिस जारी किये गये थे ।

● **संकलित**

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली–110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।



With Best Compliments from :

MAKING THE [EXTRA] ORDINARY

LIS (INDIA) CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.

BUILDERS & DEVELOPERS

Regd. office: A/2, Swati Apartment, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai - 400 058
Ph.: 2625 5702-34 Fax: 262 88474 Email: lis.co.in.@gmail.com

Posted on 20-21 March 2018
April 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.03.2018
Total pages 52 with Cover

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

THINK PROGRESS THROUGH PROFESSIONAL MANPOWER

A. A. SYED
Chairman

APPLE TRAVELS

INTERNATIONAL HRD CO.
Authorised by Govt. of India as International Recruitment Co.

ATTRACTION FORCE OF GRAVITATION

68, DCB BANK BLDG., 3RD FLOOR,
PALTON ROAD, CRAWFORD MARKET,
MUMBAI-400001 (INDIA)
Phone : 0091-22-6631-1733, 6631-6946
0091-22-6635-5519, 6610-7869,
Fax : 0091-22-66310937
Mobile : 0091-9820673953
E-mail : hr@appleconsultancy.com
Website : www.appleconsultancy.com